

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वेतन से आयकर कटौती

परिपत्र संख्या 4/2020 [एफ.सं. 275/192/2019-आईटी(बी)] , दिनांक 16-1-2020 ,

शुद्धिपत्र [एफ.सं. 275/192/2019-आईटी(बी)], दिनांक 5-3-2020 द्वारा संशोधित

दिनांक 1-1-2019 के परिपत्र संख्या 1/2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 192 के अंतर्गत "वेतन" मद के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरों की जानकारी दी गई थी। वर्तमान परिपत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान "वेतन" मद के अंतर्गत देय आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरें शामिल हैं और अधिनियम तथा आयकर नियम, 1962 (इसके बाद नियम कहा जाएगा) के कुछ संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई है। संबंधित अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अधिसूचनाएँ आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. वित्त अधिनियम, 2019 के अनुसार आयकर की दरें:

वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 (अर्थात आकलन वर्ष 2020-21) के लिए "वेतन" मद के अंतर्गत प्रभार्य आय से अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत निम्नलिखित दरों पर आयकर की कटौती की जानी आवश्यक है:

2.1 कर की दरें

क. कर की सामान्य दरें:

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक न हो	शून्य
2	जहां कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है।	कुल आय 2,50,000/- रुपये से अधिक राशि का 5 प्रतिशत
3	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है।	12,500/- रुपये तथा कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत राशि।
4	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो।	1,12,500/- रुपये और उस राशि का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो

ख. भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर की दरें, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का हो:

क्रम संख्या	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 3,00,000/- रुपये से अधिक न हो	शून्य
2	जहां कुल आय 3,00,000 रुपये से अधिक है, लेकिन 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय 3,00,000/- रुपये से अधिक राशि का 5 प्रतिशत
3	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है	10,000/- रुपये तथा कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक होने पर राशि का 20 प्रतिशत।
4	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो	1,10,000/- रुपये और उस राशि का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो

सी. भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का हो:

सं.	कुल आय	कर की दर
1	जहां कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक न हो	शून्य
2	जहां कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, लेकिन 10,00,000 रुपये से अधिक नहीं है	कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक राशि का 20 प्रतिशत
4	जहां कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो	1,00,000/- रुपये और उस राशि का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,00,000/- रुपये से अधिक हो

2.2 आयकर पर अधिभार:

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आयकर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आयकर की रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार जोड़ा जाएगा, जिसकी गणना आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में की जाएगी,—

- (ए) " कुल आय " "(धारा 111ए और धारा 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित)" पचास लाख रुपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं, ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;
- (बी) " कुल आय " "(धारा 111ए और धारा 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित)" एक करोड़ रुपये से अधिक लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;
- (सी) " कुल आय " "(धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत आय को छोड़कर)" दो करोड़ रुपये से अधिक लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से; और
- (डी) " कुल आय " "(धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत आय को छोड़कर)" पांच करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के सैंतीस प्रतिशत की दर से:
- (ई) कुल आय (धारा 111ए और 112ए के प्रावधानों के तहत आय सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन खंड (सी) और (डी) के तहत कवर नहीं है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से लागू होगा:

बशर्ते कि जहां कुल आय में आयकर अधिनियम की धारा 111ए और 112ए के तहत प्रभार्य कोई आय शामिल है, वहां आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि ऊपर वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय ,-

- (ए) पचास लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं, ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि पचास लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से पचास लाख रुपये से अधिक आय की राशि से अधिक नहीं होगी;
- (बी) एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, किन्तु ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो आय की एक करोड़ रुपए से अधिक राशि से अधिक नहीं होगी;
- (सी) दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, लेकिन ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि दो करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी;
- (डी) पांच करोड़ रुपए से अधिक की आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से पांच करोड़ रुपए से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

2.3.1 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

"स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर " आयकर के चार प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा, जिसमें जहां भी लागू हो, अधिभार भी शामिल होगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी ।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192: "वेतन" से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना:

3.1 कर गणना की विधि:

प्रत्येक व्यक्ति जो "वेतन" मद के अंतर्गत प्रभार्य किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, उसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए "वेतन" मद के अंतर्गत करदाता की अनुमानित आय पर आयकर की कटौती करनी होगी। आयकर की गणना ऊपर दी गई दरों के आधार पर की जानी आवश्यक है, जो अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, जैसा भी मामला हो, पैना या आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों के अधीन है, और प्रत्येक भुगतान के समय कटौती की जाएगी। [हालांकि, किसी भी मामले में स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि लागू छूट, कटौती और राहत को प्रभावी करने के बाद अनुलमकों के मूल्य सहित अनुमानित वेतन आय कर योग्य न हो।] (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध- I में दिए गए हैं)।

3.2 नियोक्ता द्वारा अनुलाभों पर कर का भुगतान:

नियोक्ता को कर्मचारी को दिए जाने वाले गैर-मौद्रिक लाभों पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। नियोक्ता, अपनी इच्छानुसार, कर्मचारी के वेतन से

कोई टीडीएस काटे बिना, ऐसे लाभों पर कर का भुगतान स्वयं कर सकता है। हालाँकि, नियोक्ता को उस समय कर का भुगतान करना होगा जब ऐसा कर अन्यथा कटौती योग्य था, अर्थात् कर्मचारी को "वेतन" मद के अंतर्गत देय आय के भुगतान के समय।

3.2.1 औसत आयकर की गणना:

उपर्युक्त पैरा 3.2 में उल्लिखित कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, कर का निर्धारण वित्तीय वर्ष के लिए लागू दर के आधार पर गणना किए गए आयकर के औसत पर किया जाना है, जो कि "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभाय आय पर लागू होता है, जिसमें उन अनुलाभों का मूल्य भी शामिल है, जिनके लिए नियोक्ता द्वारा स्वयं कर का भुगतान किया गया है।

3.2.2 उदाहरण:

साठ वर्ष से कम आयु के कर्मचारी के लिए "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत वर्ष के लिए प्रभाय आय, सभी सुविधाओं सहित, 6,00,000/- रुपये है, जिसमें से 50,000/- रुपये गैर-मौद्रिक सुविधाओं के कारण है और नियोक्ता उपरोक्त पैरा 3.2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ऐसी सुविधाओं पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है।

चरण:

सभी सुविधाओं सहित "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभाय आय	₹. 6,00,000/-
कुल वेतन पर कर (उपकर सहित)	₹. 33,800/-
कर की औसत दर [(33,800/6,00,000) X 100]	5.63%
50,000 रुपये पर देय कर (50,000 का 5.63%)	2815 रुपये
प्रत्येक माह जमा की जाने वाली आवश्यक राशि	235 रुपये = 2815/12

नियोक्ता द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया कर, कर्मचारी के वेतन से काटा गया टी.डी.एस. माना जाएगा।

एक से अधिक नियोक्ता से वेतन :

धारा 192(2) उन स्थितियों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन काम कर रहा है या एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता में बदल गया है। यह ऐसे नियोक्ता (जैसा कि करदाता चुन सकता है) द्वारा उस कर्मचारी के कुल वेतन से स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान करता है, जो एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त कर रहा है या करता रहा है। कर्मचारी को अब वर्तमान/चुने हुए नियोक्ता को पूर्व/अन्य नियोक्ता से प्राप्त या देय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय का विवरण और उस पर स्रोत पर काटे गए कर का विवरण लिखित रूप में और उसके और पूर्व/अन्य नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित रूप में प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान/चुने हुए नियोक्ता को वेतन की कुल राशि (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होगी।

3.4 बकाया या अग्रिम वेतन भुगतान पर राहत:

3.4.1 धारा 192(2ए) के अंतर्गत, जहाँ करदाता, सरकारी कर्मचारी या किसी कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संघ या निकाय का कर्मचारी होने के नाते, धारा 89 के अंतर्गत राहत का हकदार है, वह पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, उसके द्वारा विधिवत सत्यापित फॉर्म संख्या 10ई में ऐसे विवरण प्रस्तुत कर सकता है, और उसके बाद, जैसा कि पूर्वोक्त है, उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे विवरणों के आधार पर राहत की गणना करेगा और उपरोक्त पैरा (3.1) के अंतर्गत कटौती करते समय उसे ध्यान में रखेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसा करदाता आयकर रिटर्न के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपरोक्त फॉर्म 10ई इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा।

यहां "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है, तथा इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय घोषित संस्थान भी शामिल है।

3.4.2 1/04/2010 (एवाई 2010-11) से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी योजना या योजनाओं के अनुसार या धारा 10(10सी)(i) (नियम 2बीए के साथ पढ़ें) में निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी योजना के अनुसार, किसी करदाता द्वारा उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति पर प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के संबंध में ऐसी कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी, यदि करदाता द्वारा ऐसे या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 10(10सी) के तहत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण पर प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के संबंध में छूट का दावा किया गया है।

3.5 किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय से संबंधित जानकारी:

(i) धारा 192(2बी) करदाता को उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त "वेतन" (जो "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत हानि न हो) के अलावा किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय और उस पर स्रोत पर काटे गए किसी भी कर का विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। अब

ये विवरण एक साधारण विवरण में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिस पर करदाता द्वारा नियमों के नियम 26 बी(2) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से उचित रूप से हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा और उसे साधारण विवरण के साथ संलग्न किया जाएगा। सत्यापन का प्रपत्र निम्नानुसार है:

करदाता का नाम), घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

यह दोहराया जाता है कि डीडीओ केवल "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत किसी भी हानि को ध्यान में रख सकता है। डीडीओ द्वारा कटौती योग्य कर की राशि की गणना के लिए किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत हानि पर विचार नहीं किया जा सकता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त अधिनियम, 2017 के तहत अधिनियम की धारा 71 में संशोधन के मद्देनजर "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत नुकसान को किसी अन्य आय शीर्षक के तहत आय के साथ केवल 2.00 लाख रुपये तक ही समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, कर कटौती की राशि की गणना के लिए 2.00 लाख रुपये से अधिक के "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत नुकसान को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

3.6 "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना :

गृह संपत्ति से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, डीडीओ यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी ऊपर उल्लिखित घोषणा पत्र दाखिल करे और उसके साथ गृह संपत्ति से हुए नुकसान की गणना संलग्न करे। नियोक्ता द्वारा "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत दावा किए गए नुकसान के संबंध में प्रत्येक गृह संपत्ति के लिए अलग से निम्नलिखित विवरण प्राप्त करके रखे जाएँगे:

- (ए) सकल वार्षिक किराया/मूल्य
- (बी) भुगतान किए गए नगरपालिका कर, यदि कोई हों
- (सी) भुगतान किए गए ब्याज के लिए दावा की गई कटौती, यदि कोई हो
- (डी) अन्य कटौतियों का दावा
- (ई) संपत्ति का पता

डीडीओ को धारा 192 (2डी) के साथ पठित नियम 26सी में निर्दिष्ट ब्याज की कटौती के संबंध में फॉर्म संख्या 12बीबी में साक्ष्य या विवरण प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करना होगा।

से आय की गणना के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे की शर्तें [धारा 24(बी)]:

अधिनियम की धारा 24(बी) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज पर आवास संपत्ति से आय में कटौती की अनुमति देती है :-

- (मैं) यह कटौती केवल उस गृह संपत्ति के मामले में दी जाती है जो कर्मचारी के स्वामित्व में हो और उसके अपने निवास के लिए उसके कब्जे में हो। हालाँकि, यदि कर्मचारी का रोजगार स्थान किसी अन्य स्थान पर होने के कारण वास्तव में उस स्थान पर कर्मचारी का कब्जा नहीं है, तो उस अन्य स्थान पर उसका निवास उसके स्वामित्व वाले भवन में नहीं होना चाहिए।
- (ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार कटौती की मात्रा अनुमत है:

क्रम सं.	पूंजी उधार लेने का उद्देश्य	पूंजी उधार लेने की तिथि	अधिकतम स्वीकार्य कटौती
1	घर की मरम्मत या नवीनीकरण या पुनर्निर्माण	किसी भी समय	रु. 30,000/-
2	घर का अधिग्रहण या निर्माण	01.04.1999 से पहले	रु. 30,000/-
3	घर का अधिग्रहण या निर्माण	01.04.1999 को या उसके बाद	रु. 1,50,000/- (निर्धारण वर्ष 2014-15 तक) रु. 2,00,000/- (आयु वर्ष 2015-16 से प्रभावी)

4 उपरोक्त तालिका के क्रम 1 और क्रम 3 की कुल कटौती वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त क्रमांक 3 के मामले में

- (ए) मकान का अधिग्रहण या निर्माण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 5 वर्षों के भीतर पूरा होना चाहिए जिसमें पूंजी उधार ली गई थी। इसलिए, डीडीओ के पास उस मकान की संपत्ति का पूर्णता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसके विरुद्ध कटौती का दावा बिल्डर से या कर्मचारी द्वारा स्व-घोषणा के माध्यम से किया जाता है।
- (बी) तक के लिए कोई भी पूर्व अवधि ब्याज (अधिनियम की किसी अन्य धारा के तहत कटौती के रूप में अनुमत ब्याज के किसी भी हिस्से से कम) संबंधित वित्तीय वर्ष और उसके बाद के चार वित्तीय वर्षों के लिए समान किस्तों में काटा जाएगा।

- (सी) कर्मचारी को डीडीओ के समक्ष उस व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसे उधार ली गई पूंजी पर ब्याज देय है, जिसमें देय ब्याज की राशि का उल्लेख हो। यदि पहले लिए गए ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लिया जाता है, तो प्रमाण पत्र में चुकाए गए ऋण के मूलधन और ब्याज का विवरण भी दर्शाया जाना चाहिए।

जैसा कि पैरा 4.6.5 में चर्चा की गई है, नियम 26सी के साथ धारा 192(2डी) डीडीओ के लिए कटौती योग्य ब्याज के संबंध में निम्नलिखित विवरण/साक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है।

- (मैं) देय या भुगतान किया गया ब्याज
 (ii) ऋणदाता का नाम
 (iii) ऋणदाता का पता
 (iv) ऋणदाता का पैन या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो, ऋणदाता का पैन या आधार नंबर, जो वित्तीय संस्थान या नियोक्ता है, अनिवार्य है यदि यह कर्मचारी के पास उपलब्ध है, हालांकि अन्य ऋणदाता के मामले में, जैसा भी मामला हो, डीडीओ द्वारा पैन या आधार नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है।

3.7 कटौती की अधिकता या कमी के लिए समायोजन:

धारा 192(3) के प्रावधान कटौतीकर्ता को वित्तीय वर्ष के दौरान पहले से की गई कर कटौती में किसी भी अतिरिक्त या कमी के लिए उस कर्मचारी के लिए उसी वित्तीय वर्ष के भीतर बाद की कटौतियों में समायोजन करने की अनुमति देते हैं।

3.8 विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया वेतन:

विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, ऐसे वेतन का रूप में मूल्य उस मुद्रा की "टेलीग्राफिक ट्रांसफर खरीद दर" पर उस तिथि को परिकल्पित किया जाएगा, जिस तिथि को स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित है (नियम 26 देखें)।

4. कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और उनके कर्तव्य:

4.1 अधिनियम की धारा 204(i) के अनुसार , केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए भुगतानों के अलावा अन्य भुगतानों के संदर्भ में, धारा 192 के प्रयोजनार्थ "भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" का तात्पर्य स्वयं नियोक्ता से है, या यदि नियोक्ता एक कंपनी है, तो कंपनी स्वयं, जिसमें उसका प्रधान अधिकारी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, धारा 204(iv) के अनुसार, यदि जमा किया गया भुगतान, या जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है, तो डीडीओ या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जो ऐसी राशि जमा करने या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, धारा 192 के प्रयोजनार्थ "भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" है।

4.2 पैरा 9 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत वेतन से काटा जाना चाहिए।

4.3. कम दर पर कर कटौती:

यदि नियोक्ता का क्षेत्राधिकार प्राप्त टीडीएस अधिकारी, कर्मचारी द्वारा फॉर्म संख्या 13 में उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन के प्रत्युत्तर में, अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत कर की कोई कटौती नहीं या कम कटौती का प्रमाण पत्र जारी करता है; तो डीडीओ को ऐसे प्रमाण पत्र को ध्यान में रखना चाहिए और उसमें उल्लिखित दरों पर देय वेतन पर कर की कटौती करनी चाहिए। (नियम 28एए देखें)। प्रमाण पत्र की विशिष्ट पहचान संख्या को टीडीएस के त्रैमासिक विवरण (फॉर्म 24क्यू) में दर्ज करना आवश्यक है।

4.4. काटा गया कर जमा:

नियम 30 में स्रोत पर काटे गए कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में भुगतान का समय और तरीका निर्धारित किया गया है।

4.4.1 टीडीएस भुगतान की नियत तिथियां:

केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस के भुगतान/जमा का निर्धारित समय निम्नानुसार है:

(क) सरकारी कार्यालय के मामले में :

क्रम सं.	विवरण	जमा करने की अंतिम तिथि.
1	चालान के बिना जमा किया गया कर [बुक एंट्री]	एक ही दिन
2	चालान के साथ जमा किया गया कर	अगले महीने का 7वां दिन
3	नियोक्ता द्वारा जमा किये जाने वाले अनुलाभों पर करा	अगले महीने का 7 वां दिन

(ख) सरकारी कार्यालय के अलावा किसी भी मामले में

क्रम सं.	विवरण	जमा करने की अंतिम तिथि
1	मार्च में कर कटौती	अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल
2	किसी अन्य महीने में काटा गया कर	अगले महीने का 7वां दिन
3	नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले अनुलाभों पर कर	अगले महीने का 7वां दिन

तथापि, यदि कोई डीडीओ धारा 192 के अंतर्गत टीडीएस के त्रैमासिक भुगतान की अनुमति के लिए क्षेत्राधिकार वाले अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त के समक्ष आवेदन करता है, तो नियम 30(3) त्रैमासिक आधार पर और नीचे दी गई तालिका में दिए गए समय के अनुसार भुगतान की अनुमति देता है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त हो गई	त्रैमासिक भुगतान की तिथि
1	30 जून	7 जुलाई
2	30 सितंबर	7 अक्टूबर
3	31 दिसंबर	7 जनवरी
4	31 मार्च	अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल

4.4.2 टीडीएस भुगतान का तरीका

धारा 200 (2ए) के तहत बुक एंट्री द्वारा टीडीएस के भुगतान के मामले में पीएओ, ट्रेजरी अधिकारी आदि द्वारा विवरण दाखिल करना अनिवार्य है : **बुक एंट्री**] प्रस्तुत किए बिना केंद्रीय सरकार के खाते में कर का भुगतान किया गया है , वेतन और लेखा अधिकारी या कोषागार अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जिसे कटौतीकर्ता काटे गए कर के बारे में रिपोर्ट करता है और जो केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसी राशि जमा करने के लिए जिम्मेदार है, वह-

- (ए) धारा 200 (2ए) के तहत फॉर्म संख्या 24जी में विवरण अप्रैल की 30 तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा; और किसी अन्य मामले में, संबंधित महीने के अंत से 15 दिन पहले या उससे पहले आयकर महानिदेशक (सिस्टम) [टीआईएन सुविधा केंद्र जो वर्तमान में मेसर्स नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित हैं] द्वारा अधिकृत एजेंसी को कटौतीकर्ताओं द्वारा काटे गए कर और उस महीने के लिए उन्हें रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्रस्तुत करना होगा; और
- (बी) एजेंसी द्वारा जनित संख्या (जिसे आगे बही पहचान संख्या या बीआईएन कहा जाएगा) उन सभी कटौतीकर्ताओं को सूचित करें जिनके खाते में कटौती की गई राशि जमा की गई है। बीआईएन में फॉर्म 24जी की रसीद संख्या, फॉर्म संख्या 24जी में डीडीओ अनुक्रम संख्या और कर जमा करने की तिथि शामिल होती है।

यदि पीएओ/सीडीडीओ/टीओ आदि , जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 200(2ए) के तहत अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें धारा 272ए(2)(एम) के तहत जुर्माने के रूप में, प्रत्येक दिन के लिए 100/- रुपये का भुगतान करना होगा, जब तक कि यह विफलता जारी रहे। हालाँकि, ऐसे जुर्माने की राशि स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

फॉर्म 24G भरने की प्रक्रिया अनुबंध III में विस्तृत रूप से दी गई है। पीएओ/डीडीओ को सही प्रक्रिया समझने के लिए अनुबंध IV में दिए गए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) को ध्यान से पढ़ना चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के ZAO/PAO मासिक आधार पर फॉर्म संख्या 24G भरने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार के विभागों के मामले में फॉर्म संख्या 24G भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम अनुबंध V में दिया गया है।

फॉर्म 24G प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुबंध IV में विस्तृत रूप से दी गई है। पीएओ/डीडीओ को सही प्रक्रिया समझने के लिए उसमें दिए गए FAQ को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

4.4.2.2 आयकर चालान द्वारा भुगतान:

- (में) यदि भुगतान आयकर चालान द्वारा किया जाता है, तो कटौती की गई कर की राशि, ऊपर पैरा 4.4.1 में तालिका में निर्दिष्ट समय के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की शाखाओं में प्रेषित करके केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी;
- (ii) किसी कंपनी और किसी व्यक्ति (कंपनी के अलावा) के मामले में, जिस पर धारा 44एबी के प्रावधान लागू होते हैं, कटौती की गई राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक आयकर चालान के साथ भेजी जाएगी (नियम 125)।

राशि को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित माना जाएगा:

- (ए) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा; या

(बी) डेबिट कार्ड (नियम 30(7))

4.5 ब्याज, जुर्माना और कटौती किए गए कर को जमा न करने पर अभियोजन:

4.5.1 यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की पूरी या आंशिक कटौती करने में विफल रहता है, या कटौती करने के बाद, निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के खाते में कर की पूरी या आंशिक राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उस पर धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और उसे ऐसे कर के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा और अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भागी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, धारा 201(1ए) में प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- (मैं) ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए 1% की दर से उस तिथि से, जिस तिथि को ऐसा कर कटौती योग्य था, उस तिथि तक, जिस तिथि को ऐसा कर कटौती योग्य है; तथा
- (ii) ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से उस तिथि से, जिसको ऐसा कर काटा गया था, उस तिथि तक, जिसको ऐसा कर वास्तव में चुकाया गया है।
यदि ऐसा ब्याज देय है, तो वह अनिवार्य प्रकृति का है और संबंधित तिमाही के लिए टीडीएस का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने से पहले इसका भुगतान करना होगा।

4.5.2 धारा 271सी में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की पूरी या उसके किसी भाग की कटौती करने में विफल रहता है या धारा 194बी के दूसरे प्रावधान के तहत कर की पूरी या उसके भाग की अदायगी करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने के रूप में उसके द्वारा न काटे गए या अदा किए गए कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

4.5.3 इसके अलावा, धारा 276बी में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के खाते में स्रोत पर कटौती किए गए कर या धारा 194बी के दूसरे प्रावधान के तहत देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने के साथ 3 महीने से 7 साल तक की अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा।

4.6 कटौती किए गए कर के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना (धारा 203):

4.6.1 धारा 203 के अनुसार, डीडीओ को कर्मचारी को फॉर्म 16 में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें टीडीएस की राशि और कुछ अन्य विवरण शामिल होंगे। नियम 31 के अनुसार, कर्मचारी को फॉर्म 16 उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 15 जून तक प्रस्तुत करना होगा जिसमें आय का भुगतान किया गया था और कर कटौती की गई थी। पेंशन भुगतान के समय कर काटने वाले बैंकों को भी ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने होंगे। फॉर्म 16 की एक प्रति संलग्न है। फॉर्म 16 में दिए गए प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विवरण होगा:

- (ए) कटौतीकर्ता का वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो ;
- (बी) कटौतीकर्ता का वैध कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) ;
- (सी) (i) पुस्तक पहचान संख्या या संख्या (बीआईएन) जहां कटौती किए गए कर को सरकारी कार्यालय के मामले में चालान प्रस्तुत किए बिना जमा किया जाता है;
- (ii) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या या संख्या (सीआईएन*)।
(* चालान पहचान संख्या (सीआईएन) से तात्पर्य उस बैंक शाखा के मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) कोड से है जहां कर जमा किया गया है, वह तारीख जिस पर कर जमा किया गया है और बैंक द्वारा दिया गया चालान सीरियल नंबर।)
- (डी) टीडीएस (24Q) के सभी प्रासंगिक त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएँ। त्रैमासिक विवरण की रसीद संख्या 8 अंकों की होती है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 17-04-2013 के परिपत्र 04/2013 के अनुसार, सभी कटौतीकर्ता (जिनमें सरकारी कटौतीकर्ता भी शामिल हैं जो पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस जमा करते हैं) अध्याय XVII-B की धारा 192 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद काटी गई सभी राशियों के संबंध में, फॉर्म संख्या 16 का भाग A तैयार करके, उसे TRACES पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करके और विधिवत प्रमाणित और सत्यापित करने के बाद जारी करेंगे। फॉर्म संख्या 16 के भाग A में एक विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या होगी। कटौतीकर्ता, ट्रेसेस वेबसाइट से फॉर्म संख्या 16 का 'भाग B (अनुलमनक)' तैयार करेगा और उचित प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद, फॉर्म संख्या 16 के भाग A के साथ कटौतीकर्ता को जारी करेगा।

कृपया ध्यान दें कि नई टीडीएस प्रक्रिया के तहत, कटौतीकर्ता का TAN/पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, और कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल किए गए टीडीएस विवरण की रसीद संख्या, कटौतीकर्ता को ऑनलाइन टीडीएस क्रेडिट प्रदान करने के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करती है। इसलिए, इन विवरणों को भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। टीडीएस विवरण में सही CIN/BIN दर्शाने में भी उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

यदि डीडीओ धारा 203 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह धारा 272ए(2)(जी) के तहत जुर्माने के रूप में

100 रुपये प्रति दिन की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्रोत पर कर छूट और कटौती के दावों के आधार पर कटौती योग्य नहीं है/कटौती की गई है तो टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की कोई बाध्यता नहीं है।

[नोट: TRACES आयरकर विभाग का एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो टीडीएस प्रशासन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह चालान की स्थिति देखने, एनएसडीएल कंसो फाइल, औचित्य रिपोर्ट और फॉर्म 16/16A डाउनलोड करने के साथ-साथ वार्षिक कर क्रेडिट विवरण (फॉर्म 26AS) देखने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक कटौतीकर्ता को ट्रेसेस पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। कटौतीकर्ताओं को जारी किया जाने वाला फॉर्म 16/16A अनिवार्य रूप से ट्रेसेस पोर्टल से ही तैयार और डाउनलोड किया जाना चाहिए।]

विवरण दाखिल करने और टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में कुछ आवश्यक बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- (ए) टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16) केवल तभी तैयार किया जाएगा जब कटौतीकर्ता द्वारा चौथी तिमाही में दाखिल किए गए फॉर्म 24Q के अनुलग्नक II में वैध पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, सही ढंग से उल्लिखित हो। इसके अलावा, नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 16 में यह सुनिश्चित करें कि "फॉर्म 24G/OLTAS" के संबंध में "मिलान" की स्थिति 'F' हो। यदि मिलान की स्थिति 'F' के अलावा अन्य है, तो कृपया उसे सुधारने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि कटौतीकर्ताओं को वेबसाइट www.tdscpc.gov.in/ पर कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, जिनमें विवरणों में ऑनलाइन सुधार (फॉर्म 24Q) शामिल है।
- (बी) नियोक्ता को एनएसडीएल आरपीयू (इसके बाद रिटर्न तैयारी उपयोगिता) के अनुसार फॉर्म 24क्यू के अनुलग्नक I के कॉलम 321 (भुगतान/जमा की गई राशि) में **वेतन की सकल राशि** (धारा 10 के तहत छूट प्राप्त राशि और अध्याय VI ए के तहत कटौती सहित) उद्धृत करनी चाहिए।
- (सी) नियोक्ता को एनएसडीएल आरपीयू के अनुसार फॉर्म 24क्यू के अनुलग्नक II के कॉलम 333 (वेतन की कुल राशि) में धारा 10 के तहत छूट प्राप्त किसी भी राशि को छोड़कर वेतन की राशि उद्धृत करनी चाहिए।
- (डी) टीडीएस के लिए प्रस्तावित "वेतन" शीर्ष (स्तंभ 339 में दर्शाया गया है) के अलावा किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय (गृह संपत्ति से हानि सहित) पर टीडीएस को स्तंभ 350 (एनएसडीएल आरपीयू के अनुसार, पिछले नियोक्ता द्वारा टीडीएस की रिपोर्ट की गई राशि) में दर्शाया जा सकता है।
- (ई) नियोक्ता को सलाह दी जाती है कि वह अनुलग्नक II में कुल कर योग्य आय (कॉलम 346) को पूर्णांकन के बिना उद्धृत करें तथा टीडीएस की कटौती की जाए तथा तदनुसार रिपोर्ट की जाए, अर्थात् टीडीएस को भी पूर्णांकन के बिना।

उदाहरण:

कुल कर योग्य आय	कुल कर योग्य आय (पूर्णांकित)	काटा जाने वाला टीडीएस	टीडीएस कटौती / आय को पूर्णांकित करने के बाद रिपोर्ट किया गया	लघु कटौती
₹.1350094	₹. 1350090	₹. 235028.20	235028 रुपये	1.20

4.6.2 यदि कोई करदाता वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा नियोजित है, तो प्रत्येक नियोक्ता उस अवधि से संबंधित फॉर्म संख्या 16 में प्रमाण पत्र का भाग ए जारी करेगा जिसके लिए ऐसा करदाता प्रत्येक नियोक्ता के पास नियोजित था और भाग बी प्रत्येक नियोक्ता या करदाता के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकता है।

4.6.3 डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण :

- (मैं) जहां प्रमाण पत्र फार्म संख्या 16 में प्रस्तुत किया जाना है, वहां कटौतीकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर सकता है।
 - (ii) i) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों के मामले में , कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि
 - (ए) उपरोक्त पैरा 4.6.1 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाता है;
 - (बी) एक बार प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर हो जाने के बाद, प्रमाणपत्र की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता; और
 - (सी) प्रमाणपत्रों की एक नियंत्रण संख्या होती है और कटौतीकर्ता द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रों का एक लॉग बनाए रखा जाता है।
- इंटरनेट पर अधिकांश ई-लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर

के माध्यम से सूचना का प्रसारण पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे समय की बचत होती है, खासकर उन संगठनों में जहाँ कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है और जहाँ मैनुअल हस्ताक्षर से कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करने में समय लगता है (परिपत्र संख्या 2, 2007, दिनांक 21.05.2007)।

4.6.4. अनुलाभ आदि से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना (धारा 192(2सी)):

4.6.4.1 धारा 192(2सी) के अनुसार, किसी कर्मचारी को वेतन के बदले दी जाने वाली सुविधाओं या लाभों का सही और पूर्ण विवरण प्रदान करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है जो ऐसी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात्, स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। ऐसे विवरणों का प्रारूप और तरीका नियम 26ए, फॉर्म 12बीए (अनुलग्नक II) और नियमों के फॉर्म 16 में निर्धारित है। यदि भुगतान किया गया या देय वेतन 1,50,000/- रुपये से अधिक है, तो नियोक्ता को सुविधाओं की प्रकृति और मूल्य से संबंधित जानकारी फॉर्म 12बीए में प्रदान करनी होगी। अन्य मामलों में, नियोक्ता को फॉर्म 16 में ही जानकारी प्रदान करनी होगी।

4.6.4.2 नियोक्ता, जिसने इस परिपत्र के पैरा 3.2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभों पर कर का भुगतान किया है, संबंधित कर्मचारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि कर का भुगतान केन्द्र सरकार को कर दिया गया है तथा संशोधित प्रपत्र 16 में भुगतान की गई राशि, कर भुगतान की गई दर तथा कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करेगा।

4.6.4.3 कर्मचारी को प्रदान की गई सुविधाओं का मूल्य दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 192(2सी) के तहत नियोक्ता पर डाला गया दायित्व नियोक्ता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे कानून और उसके तहत बनाए गए मूल्यांकन नियमों के अनुसार पूरा किया जाना अपेक्षित है। कोई भी गलत सूचना, फर्जी दस्तावेज या अपेक्षित जानकारी को दबाने पर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे। ऊपर निर्दिष्ट फॉर्म 16 और फॉर्म 12बीए में प्रमाण पत्र कर्मचारी को उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की 15 जून तक प्रस्तुत करना होगा जिसमें आय का भुगतान किया गया था और करों में कटौती की गई थी। यदि वह संबंधित व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, जैसा कि धारा 192(2सी) द्वारा अपेक्षित है, तो वह धारा 272ए(2)(i) के तहत जुर्माने के रूप में 100 रुपये प्रति दिन की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा,

अधिनियम की धारा 139सी के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी करदाता से नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 के साथ फॉर्म 12बीए प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है /

4.6.5 धारा 192(2डी) के तहत निर्धारित दावे (नुकसान के सेट-ऑफ के दावे सहित) के सबूत या विवरण प्राप्त करने के लिए डीडीओ को अधिकार दिया गया है:

करदाता की आय का अनुमान लगाने या उक्त धारा के तहत कटौती योग्य कर की राशि की गणना करने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुछ कटौती, छूट या भत्ते या कुछ नुकसान के सेट-ऑफ की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। कर्मचारी द्वारा दावा की गई कुछ कटौतियों/छूट/भत्तों/नुकसान के सेट-ऑफ के लिए साक्ष्य/प्रमाण/विवरण जैसे कि एचआरए में कटौती का दावा करने के लिए किराए की रसीद, स्व-कब्जे वाली घर की संपत्ति से नुकसान का दावा करने के लिए ब्याज भुगतान का सबूत आदि डीडीओ के पास उपलब्ध नहीं है। इस मामले में निश्चितता और एकरूपता लाने के लिए, धारा 192 (2 डी) में प्रावधान है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (डीडीओ) करदाता से मकान किराया भत्ता (जहां कुल वार्षिक किराया एक लाख रुपये से अधिक है) जैसे दावों का सबूत या प्रमाण या विवरण प्राप्त करेगा; नियम 26सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र 12बीबी के अनुसार "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत ब्याज की कटौती और अध्याय VI-ए के अंतर्गत कटौती। प्रपत्र 12बीबी अनुलग्नक IIIa के रूप में संलग्न है।

4.7 पैना या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, और टैन का अनिवार्य उल्लेख:

4.7.1 अधिनियम की धारा 203ए के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के लिए चालान, टीडीएस प्रमाणपत्र, विवरण और अन्य दस्तावेजों में कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करना और उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र संख्या 497 [एफ.सं.275/118/87-आईटी(बी) दिनांक 01.10.1987] में उपलब्ध हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा 203ए के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 272बीबी के अंतर्गत जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, धारा 139ए(5बी) के अनुसार, स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उन व्यक्तियों का पैना या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो, उद्धृत करें, जिनकी आयकर की कटौती धारा 192(2सी) के तहत प्रस्तुत विवरण, धारा 203 के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र और अधिनियम की धारा 200(3) के प्रावधानों के अनुसार तैयार और वितरित सभी विवरणों में की गई है।

4.7.2 सभी कर कटौतीकर्ताओं को फॉर्म संख्या 24Q (वेतन से काटे गए कर के लिए) में टीडीएस विवरण दाखिल करना आवश्यक है। चूंकि आयकर रिटर्न के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र दाखिल करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए कटौतीकर्ताओं के पास पैना या आधार संख्या न होने से काटे गए कर का क्रेडिट देने में कठिनाइयां आ रही हैं। इसलिए, कर कटौतीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 24Q में वेतन के लिए टीडीएस विवरण में सभी

कटौतीकर्ताओं का विवरण, सही पैना या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, प्राप्त करें और उद्धृत करें। करदाता भी अपने कटौतीकर्ताओं को अपना सही पैना या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कटौतीकर्ता (कर्मचारी) द्वारा कटौतीकर्ता (नियोक्ता) को पैना या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, प्रदान न करने पर नीचे पैरा 4.8 में उल्लिखित अधिनियम की धारा 206AA के तहत उच्च दरों पर टीडीएस काटा जाएगा।

4.8 कर्मचारी द्वारा पैना प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता (धारा 206एए):

4.8.1 अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, किसी भी राशि, आय या रकम, जिस पर कर कटौती योग्य हो, की प्राप्ति के मामले में कर्मचारी द्वारा पैना या आधार संख्या, जैसा भी हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कर्मचारी (कटौती प्राप्तकर्ता) कटौतीकर्ता को अपना पैना या आधार संख्या, जैसा भी हो, प्रस्तुत करने में विफल रहता है , तो कटौतीकर्ता को निम्नलिखित दरों में से उच्चतर दर पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी दी गई है:

- (i) इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर पर; या
- (ii) लागू दर या दरों पर; या
- (iii) बीस प्रतिशत की दर से।

कटौतीकर्ता को तीनों स्थितियों में कर की राशि निर्धारित करनी होगी और टीडीएस की उच्च दर लागू करनी होगी। हालाँकि, जहाँ धारा 192 के तहत टीडीएस के लिए गणना की गई कर्मचारी की आय कर योग्य सीमा से कम है, वहाँ कोई कर नहीं काटा जाएगा। लेकिन जहाँ धारा 192 के तहत टीडीएस के लिए गणना की गई कर्मचारी की आय कर योग्य सीमा से अधिक है, वहाँ कटौतीकर्ता धारा 192 में प्रदत्त दरों के आधार पर आयकर की औसत दर की गणना करेगा। यदि इस प्रकार गणना किया गया कर 20% से कम है, तो कर की कटौती 20% की दर से की जाएगी और यदि औसत दर 20% से अधिक है, तो कर औसत दर से काटा जाएगा। यदि अधिनियम की धारा 206AA के तहत 20% कर काटा जाता है, तो 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नहीं काटा जाएगा।

4.9 धारा 200(3) के अंतर्गत कर कटौती का विवरण [टीडीएस का त्रैमासिक विवरण]:

4.9.1 कर काटने वाले व्यक्ति (वेतन आय के मामले में नियोक्ता) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अवधि [विवरण नीचे दी गई तालिका में] के लिए **फॉर्म 24Q** में टीडीएस का विधिवत सत्यापित त्रैमासिक विवरण डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा अधिकृत टीआईएन सुविधा केंद्रों पर दाखिल करना आवश्यक है, जिसका प्रबंधन वर्तमान में मेसर्स नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा किया जाता है, या कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकरण के बाद www.incometaxindiaefiling.gov.in पर । किसी भी टीआईएन सुविधा केंद्र पर ई-टीडीएस मध्यस्थ का विवरण <http://www.incometaxindia.gov.in> और <http://tin-nsdl.com> पोर्टल पर उपलब्ध है। 1.4.2006 से टीडीएस का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है । **फॉर्म 24Q (दिनांक 12.5.2006 की अधिसूचना संख्या SO704(E) द्वारा संशोधित) में दाखिल पिछली तिमाही** का तिमाही विवरण, टीडीएस का वार्षिक रिटर्न माना जाएगा। इस विवरण को तिमाहीवार दाखिल करने की नियत तिथियाँ नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं।

तालिका: फॉर्म 24Q में त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की नियत तिथियाँ

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति की तिथि	नियत तारीख
1	30 जून	वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई
2	30 सितंबर	वित्तीय वर्ष की 31 अक्टूबर
3	31 दिसंबर	वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी
4	31 मार्च	जिस वित्तीय वर्ष में कटौती की गई है उसके तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की 31 मई

4.9.2 उपर्युक्त विवरण कागज़ के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ या फॉर्म 27ए में विवरण के सत्यापन के साथ या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित करके प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ई-टीडीएस/टीसीएस विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुबंध VI में विस्तृत है।

4.9.3 फॉर्म 24क्यू में सभी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं, सिवाय उस स्थिति के जहां कटौतीकर्ताओं के रिकॉर्ड की संख्या 20 से कम है और कटौतीकर्ता कोई सरकारी कार्यालय, कंपनी या व्यक्ति नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 44एबी के अंतर्गत अपने खातों का ऑडिट करवाना अपेक्षित है। [नियम 31 ए(3)]

4.9.4 विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क (धारा 234ई):

यदि कोई व्यक्ति धारा 200(3) में निर्धारित समय के भीतर स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने में विफल रहता है [1.07.2012 को या उसके बाद], तो उसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान यह विफलता जारी रहती है, 200 रुपये का शुल्क देना होगा। हालाँकि, ऐसे शुल्क की

राशि स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगी। यह शुल्क अनिवार्य प्रकृति का है और ऐसा विवरण प्रस्तुत करने से पहले देय होगा।

4.9.5 टीडीएस विवरण दाखिल करने में गलती का सुधार:

डीडीओ किसी गलती को सुधारने या पहले दिए गए विवरण में दी गई जानकारी को जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए सुधार विवरण भी दाखिल कर सकता है।

4.9.6 विवरण प्रस्तुत करने में विफलता या गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर जुर्माना (धारा 271एच):

यदि कोई व्यक्ति धारा 200(3) में निर्धारित समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है या प्रस्तुत करता है या स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में [1.07.2012 को या उसके बाद] गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उसे जुर्माने के रूप में 10,000/- रुपये से कम नहीं, बल्कि 1,00,000/- रुपये तक की राशि का भुगतान करना होगा। हालाँकि, यदि व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसने केंद्र सरकार के खाते में शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, के साथ टीडीएस का भुगतान करने के बाद, विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की समाप्ति से पहले विवरण प्रस्तुत कर दिया था, तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

4.9.7 कटौती किए गए कर का विवरण तैयार करते समय, कटौतीकर्ता को यह करना आवश्यक है:

- (i) विवरण में अपने कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) को अनिवार्य रूप से उद्धृत करें;
- (ii) विवरण में, जहाँ कटौतीकर्ता सरकारी कार्यालय (राज्य सरकार सहित) हो, को छोड़कर, अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, अनिवार्य रूप से उद्धृत करें। सरकारी कटौतीकर्ताओं के मामले में, ई-टीडीएस विवरण में "PANNOTREQD" उद्धृत किया जाना चाहिए;
- (iii) कटौतीकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या, पैन या आधार संख्या, जैसा भी मामला हो, का अनिवार्य उल्लेख ;
- (iv) केन्द्रीय सरकार को संदत्त कर का विवरण प्रस्तुत करना, जिसमें पुस्तक पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या भी शामिल है, जैसा भी मामला हो।
- (v) भुगतान की गई या जमा की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करें, जिस पर करदाता के मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 197 के तहत कर की कटौती न करने का प्रमाण पत्र जारी करने के मद्देनजर कर नहीं काटा गया था।

4.10 पेंशन से आय पर टीडीएस:

उन पेंशनभोगियों के मामले में जो अपनी पेंशन (जीवनसाथी को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन नहीं) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त करते हैं, इस परिपत्र में दिए गए निर्देश उसी तरह लागू होंगे जैसे वे वेतन-आय पर लागू होते हैं। यदि पेंशनभोगी बैंकों को संबंधित विवरण प्रस्तुत करता है, तो जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी आदि में योगदान के कारण धारा 80 सी के तहत पेंशन की राशि से कटौती की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को आरबीआई के पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) संख्या 7/सीडीआर/1992 (संदर्भ सीओ: डीजीबीए: जीए (एनबीएस) संख्या 60/जीए.64 (11सीवीएल)-/92) दिनांक 27 अप्रैल 1992 के माध्यम से जारी किए गए थे और इन निर्देशों का पालन बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा किया जाना चाहिए, जिन्हें पेंशन के भुगतान का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाएं धारा 203 के तहत पेंशनभोगियों को फॉर्म 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि सीबीडीटी परिपत्र संख्या 761 दिनांक 13.01.98 के तहत समाप्त कर दिया गया है।

अनिवासी के मामले में टीडीएस से संबंधित मामले :

4.11.1 जहां गैर-निवासियों को भारत में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कर नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, यदि कर्मचारी को भारत छोड़ने के बाद कोई रिफंड देय होता है और मूल्यांकन आदेश पारित होने तक भारत में उसका कोई बैंक खाता नहीं है, तो रिफंड नियोक्ता को जारी किया जा सकता है क्योंकि कर उसके द्वारा वहन किया गया है [परिपत्र संख्या 707 दिनांक 11.07.1995]।

4.11.2 अनिवासियों के संबंध में, भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिया गया वेतन भारत में अर्जित आय माना जाएगा। अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि विश्राम अवधि या अवकाश अवधि के लिए देय कोई भी वेतन, जो भारत में सेवा से पहले या बाद में हो और जो रोजगार के सेवा अनुबंध का हिस्सा हो, उसे भी भारत में अर्जित आय माना जाएगा।

5. "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना

5.1 "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत देय आय:

(1) निम्नलिखित आय "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभावी होगी :

- (ए) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से किसी करदाता को पिछले वर्ष में देय कोई वेतन, चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं;

- (बी) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे भुगतान किया गया या स्वीकृत किया गया कोई भी वेतन, यद्यपि वह देय नहीं था या देय होने से पहले था।
- (सी) किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे भुगतान किया गया या स्वीकृत वेतन का कोई बकाया, यदि उस पर किसी पिछले वर्ष के लिए आयकर नहीं लगाया गया हो।

(2) शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अग्रिम भुगतान किया गया कोई वेतन किसी व्यक्ति की किसी पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित है, वहां वेतन देय होने पर उसे पुनः उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

किसी फर्म के साझेदार को देय या फर्म से प्राप्त कोई भी वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, "वेतन" नहीं माना जाएगा।

5.2 "वेतन", "अनुलाभ" और "वेतन के बदले लाभ" की परिभाषा (धारा 17):

5.2.1 "वेतन" में शामिल हैं:-

- मैं। वेतन, फीस, कमीशन, अनुलाभ, वेतन के बदले में लाभ, या वेतन के अतिरिक्त, वेतन का अग्रिम, वार्षिकी या पेंशन, प्रेच्युटी, छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में भुगतान आदि।
- ii. किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में शेष राशि में वार्षिक वृद्धि का वह भाग जो इस प्रकार है (अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क का नियम 6):
- (ए) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में किया गया अंशदान, और
- (बी) कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि पर ब्याज, जहां तक इसकी अनुमति है, ऐसी दर से अधिक दर पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। [01-09-2010 से दर 9.5% निर्धारित की गई है - अधिसूचना संख्या एसओ 1046(ई) दिनांक 13-05-2011]
- iii. केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में किया गया अंशदान, जैसा कि अधिसूचना एफएन 5/7/2003- ईसीबीएंडपीआर दिनांक 22.12.2003 (अनुलग्नक VII के रूप में संलग्न) द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसका उल्लेख धारा 80सीसीडी (इस परिपत्र के पैरा 5.5.3) में किया गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि वेतन में पेंशन शामिल है, इसलिए स्रोत पर कर पेंशन से भी काटा जाएगा, जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो। हालांकि, धारा 10 (10ए) के तहत छूट प्राप्त सीमा तक पेंशन के परिवर्तित हिस्से से कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं है।

पारिवारिक पेंशन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है, न कि "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत। इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए, डीडीओ को व्यक्ति को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।

5.2.2 अनुलाभ में शामिल हैं:

- मैं। कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किराया मुक्त आवास का मूल्य ;
- द्वितीय. कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य;
- तृतीय. निम्नलिखित में से किसी भी मामले में निःशुल्क या रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी लाभ या सुविधा का मूल्य:
- (मैं) किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को, जो उस कंपनी का निदेशक है;
- (ii) किसी कंपनी द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को जिसकी कंपनी में पर्याप्त रुचि हो;
- (iii) किसी नियोक्ता (कंपनी सहित) द्वारा किसी कर्मचारी को, जो उपरोक्त (i) या (ii) के अंतर्गत नहीं आता है और जिसकी आय शीर्षक के अंतर्गत है

"वेतन" (चाहे एक या अधिक नियोक्ताओं द्वारा देय या भुगतान किया गया हो या अनुमत हो), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान नहीं किए गए सभी लाभों और सुविधाओं के मूल्य को छोड़कर, 50,000/- रुपये से अधिक है।

[किराये के मामले में रियायत क्या है, यह अधिनियम की धारा 17(2)(ii) के नीचे स्पष्टीकरण 1 से 4 में निर्धारित किया गया है]

चतुर्थ. किसी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि जो अन्यथा करदाता द्वारा देय होती ।

वी नियोक्ता द्वारा देय कोई राशि, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या किसी निधि के माध्यम से, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवर्षिता निधि या धारा 17 के अंतर्गत अन्य निर्दिष्ट निधियों के अलावा, किसी करदाता के जीवन पर आश्वासन देने या वार्षिकी के लिए अनुबंध करने के लिए ।

छठी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निःशुल्क या रियायती दर पर आवंटित या हस्तांतरित

किसी निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य और इस प्रयोजन के लिए,

- (ए) " निर्दिष्ट प्रतिभूति " से तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) में परिभाषित प्रतिभूतियों से है और जहां किसी योजना या स्कीम के तहत कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प प्रदान किया गया है, वहां ऐसी योजना या स्कीम के तहत प्रस्तावित प्रतिभूतियां भी शामिल हैं;
- (बी) " स्वेट इक्विटी शेयर " का अर्थ है किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को छूट पर या नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए इक्विटी शेयर, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य संवर्धन के स्वरूप में जानकारी प्रदान करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिए हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए;
- (सी) किसी निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य, यथास्थिति, निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगा, जिस तारीख को करदाता द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के संबंध में करदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी ;
- (डी) " उचित बाजार मूल्य " से तात्पर्य निर्धारित विधि के अनुसार निर्धारित मूल्य से है (आईटी नियमों के नियम 3(9) देखें);
- (ई) "विकल्प" का अर्थ है एक अधिकार, लेकिन किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए दिया गया दायित्व नहीं;
- सातवीं. करदाता के संबंध में नियोक्ता द्वारा अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में किसी अंशदान की राशि , यदि वह एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है (01.04.2017 से प्रभावी); और
- आठवीं नियम 3 में निर्धारित किसी अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधा का मूल्य ।

5.2.2 नियम 3 में दिए गए ऐसे लाभ या सुविधा के मूल्यांकन के नियम निम्नानुसार हैं: -

I. नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया आवासीय आवास [नियम 3(1)] :-

"आवास" में मकान, फ्लैट, फार्म हाउस या उसका कोई भाग, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल घर, जहाज या अन्य तैरती संरचना शामिल है।

A. किराया मुक्त असज्जित आवास की सुविधा के मूल्यांकन के लिए , सभी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(i) केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए, अनुलाभ का मूल्य ऐसे आवास के लिए लिए गए लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा , जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया किराया घटाया जाएगा। स्वायत्त, अर्ध-स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सहायक कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारी मूल्यांकन की इस पद्धति के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(ii) अन्य सभी के लिए, अर्थात् वे वेतनभोगी करदाता जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में नहीं हैं, आवास के संबंध में अनुलाभ का मूल्यांकन निर्धारित दरों पर होगा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(क) जहां कर्मचारी को उपलब्ध कराया गया आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है :

क्रम सं.	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाले शहर	रिआयत
1	25 लाख से अधिक	वेतन का 15%
2	10 लाख से अधिक परंतु 25 लाख से अधिक नहीं	वेतन का 10%
3	अन्य स्थानों के लिए	वेतन का 7.5%

(ख) जहां इस प्रकार प्रदान किया गया आवास नियोक्ता द्वारा पट्टे/किराए पर लिया गया हो:

निर्धारित दर वेतन का 15% या नियोक्ता द्वारा देय पट्टा किराये की वास्तविक राशि, जो भी कम हो, कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए किराये की किसी भी राशि से घटा दी जाएगी।

आवासीय आवास के संबंध में अनुलाभ की गणना के प्रयोजन के लिए 'वेतन' का अर्थ:

- एक/ मूल वेतन;
- बी/ महंगाई भत्ता, या महंगाई वेतन यदि यह कर्मचारियों की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति लाभ की गणना में शामिल हो;
- सी/ बोनस;
- डी/ आयोग;
- ई. अन्य सभी कर योग्य भत्ते (कर योग्य न होने वाले भाग को छोड़कर); और

एफ/ कोई भी मौद्रिक भुगतान जो कर योग्य हो (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए)।

सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को उस अवधि के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा जिसके दौरान आवास प्रदान किया गया है। जहाँ किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण, उसे नए तैनाती स्थान पर आवास प्रदान किया जाता है जबकि वह दूसरे स्थान पर आवास बनाए रखता है, वहाँ अनुलाभ का मूल्य केवल एक ऐसे आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जिसका मूल्य 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कम हो और उसके बाद अनुलाभ का मूल्य ऐसे दोनों आवासों के लिए लिया जाएगा।

बी सुसज्जित आवास की अनुलाभ का मूल्यांकन - उपरोक्त विधि (ए में) द्वारा निर्धारित अनुलाभ के मूल्य में वृद्धि की जाएगी-

(i) उपकरणों की लागत का 10% , या

(ii) जहां फर्नीचर, उपकरण और साजो-सामान किराये पर लिए गए हैं, वहां देय वास्तविक किराया प्रभार की राशि से

और इस प्रकार प्राप्त मूल्य में से कर्मचारी द्वारा स्वयं भुगतान किया गया कोई भी शुल्क घटा दिया जाएगा।

इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया जाता है जो ऐसी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है, -

(i) ऐसे कर्मचारी का नियोक्ता वह निकाय या उपक्रम माना जाएगा जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा है; और

(ii) ऐसे आवास के अनुलाभ का मूल्य उपरोक्त तालिका ए(ii)(ए) के अनुसार गणना की गई राशि होगी, मानो आवास नियोक्ता के स्वामित्व में हो।

सी. होटल में सुसज्जित आवास: अनुलाभ का मूल्य निम्नलिखित दो में से जो कम हो उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

1. आवास उपलब्ध कराए जाने की अवधि के संबंध में भुगतान किए गए या देय वेतन का 24%; या

2. नियोक्ता द्वारा ऐसे होटल को भुगतान किए गए या देय वास्तविक शुल्क,

उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है, कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए या देय किसी भी किराए को घटाकर।

हालाँकि, (सी) में कुछ भी कर योग्य नहीं होगा यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं:

1. होटल आवास पिछले वर्ष में कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, और

2. ऐसी सुविधा किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण पर प्रदान की जाती है।

यह स्पष्ट किया जा सकता है कि आवास के अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन अनुलाभ के रूप में अलग से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भुगतान या प्रतिपूर्ति की जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं का मूल्यांकन अवशिष्ट खंड के अनुसार अनुलाभ के रूप में किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र शुल्क का मूल्यांकन नियमों के अनुसार किया जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क का मूल्यांकन अवशिष्ट खंड के तहत अलग से किया जाएगा।

डी. हालाँकि, खनन स्थल या तटवर्ती तेल अन्वेषण स्थल या परियोजना निष्पादन स्थल या बांध स्थल या बिजली उत्पादन स्थल या अपतटीय स्थल पर काम करने वाले कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी आवास के मूल्य को अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा यदि:

(i) ऐसा आवास किसी "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित है या

(ii) जहां यह "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित नहीं है, वहां आवास अस्थायी प्रकृति का होगा, जिसका प्लिंथ क्षेत्र 800 वर्ग फुट से अधिक नहीं होगा तथा यह किसी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा के 8 किलोमीटर के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए।

यहाँ परियोजना निष्पादन स्थल का अर्थ है परियोजना का वह स्थल जो उसके चालू होने तक है। "सुदूर क्षेत्र" का अर्थ है किसी ऐसे कस्बे से कम से कम 40 किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्र जिसकी जनसंख्या नवीनतम प्रकाशित अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक न हो।

II नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई मोटर कार पर अनुलाभ [नियम 3(2)]:

(i) यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को मोटर कार सुविधा प्रदान करता है, तो ऐसी अनुलाभ का मूल्य होगा :

(ए) यदि मोटर कार का उपयोग कर्मचारी द्वारा पूर्णतः और विशेष रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया जाता है, तो यह शून्य होगा। हालाँकि, निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं:

नियोक्ता ने आधिकारिक प्रयोजनों के लिए की गई यात्रा का पूरा विवरण रखा है;

नियोक्ता यह प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूर्णतः सरकारी कर्तव्यों के लिए किया गया था।

(बी) मोटर कार के संचालन और रखरखाव पर नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय, जिसमें चालक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक भी शामिल है, जो मोटर कार की सामान्य टूट-फूट को दर्शाने वाली राशि से बढ़ा हुआ है और ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से ली

गई राशि से घटा हुआ है (यदि मोटर कार केवल कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए है)।

(सी) 1800/- रुपये (यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के कर्तव्यों के निष्पादन में तथा आंशिक रूप से निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यदि मोटर कार के रखरखाव और संचालन पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त 900/- रुपये) प्रति माह (यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के कर्तव्यों के निष्पादन में तथा आंशिक रूप से निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यदि मोटर कार के रखरखाव और संचालन पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है)। तथापि, यदि मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो अनुलाभ का मूल्य 2400/- रुपये (यदि ड्राइवर भी उपलब्ध कराया जाता है तो अतिरिक्त 900/- रुपये) प्रति माह होगा ।

(द्वितीय) रु. 600/- (इसके अलावा रु. 900/-, यदि ड्राइवर भी उपलब्ध कराया जाता है) प्रति माह (यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से कर्तव्यों के निष्पादन में और आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यदि ऐसे निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कार के रखरखाव और चलाने का खर्च पूरी तरह से कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है)। हालांकि, यदि मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है, तो अनुलाभ का मूल्य रु. 900/- (इसके अलावा रु. 900/-, यदि ड्राइवर भी उपलब्ध कराया जाता है) प्रति माह होगा । यदि मोटर कार या कोई अन्य मोटर वाहन वाहन कर्मचारी के स्वामित्व में है, लेकिन वास्तविक संचालन और रखरखाव शुल्क नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है, तो अनुलाभ मूल्य के मूल्यांकन की विधि अलग है और निम्नानुसार है:

(ए) जहाँ मोटर कार या कोई अन्य मोटर वाहन कर्मचारी के स्वामित्व में है, लेकिन वास्तविक रखरखाव और संचालन व्यय (यदि कोई हो, तो ड्राइवर का वेतन सहित) नियोक्ता द्वारा वहन या प्रतिपूर्ति किया जाता है, वहाँ यदि कार का उपयोग पूरी तरह से और विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो किसी भी अनुलाभ पर कर नहीं लगेगा। हालाँकि, निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं:

नियोक्ता ने आधिकारिक प्रयोजनों के लिए की गई यात्रा का पूरा विवरण रखा है;

नियोक्ता यह प्रमाण पत्र देता है कि व्यय पूर्णतः सरकारी कर्तव्यों के लिए किया गया था।

तथापि, यदि मोटर कार का उपयोग आंशिक रूप से सरकारी या आंशिक रूप से निजी प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो अनुलाभ की राशि नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक व्यय होगी, जिसमें से ऊपर (1) में निर्दिष्ट राशियाँ घटा दी जाएंगी।

मोटर की सामान्य टूट-फूट को मोटर कार की वास्तविक लागत का 10% प्रति वर्ष लिया जाएगा।

III निजी परिचारक आदि [नियम 3(3)]: सफाई कर्मचारी, माली और चौकीदार सहित सभी निजी परिचारकों की निःशुल्क सेवा का मूल्य नियोक्ता द्वारा की गई वास्तविक लागत पर लिया जाएगा। जहाँ परिचारक कर्मचारी के निवास पर उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ कर्मचारी द्वारा दी गई व्यक्तिगत सेवा की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, पूरी लागत पर कर्मचारी के पक्ष में अनुलाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि उपरोक्त राशि से घटा दी जाएगी।

IV घरेलू उपभोग के लिए गैस, बिजली और पानी [नियम 3(4)]: गैस, बिजली और पानी के रूप में अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि होगी। जहाँ आपूर्ति नियोक्ता के अपने संसाधनों से की जाती है, वहाँ अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता द्वारा वहन की गई प्रति इकाई निर्माण लागत को लिया जाएगा। ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि अनुलाभ के मूल्य से घटा दी जाएगी।

V निःशुल्क या रियायती शिक्षा [नियम 3(5)]: कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य के लिए निःशुल्क या रियायती शिक्षा के मद में मिलने वाला अनुलाभ, नियोक्ता द्वारा उस संबंध में किए गए व्यय के बराबर राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, जहाँ ऐसा शैक्षणिक संस्थान स्वयं नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित और स्वामित्व में है या जहाँ ऐसी निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएँ किसी संस्थान में उसके उस नियोक्ता के यहाँ नियोजित होने के कारण प्रदान की जाती हैं, कर्मचारी के लिए अनुलाभ का मूल्य उस क्षेत्र में या उसके निकट किसी समान संस्थान में ऐसी शिक्षा की लागत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा यदि ऐसी शिक्षा या प्रति बच्चे ऐसे लाभ की लागत 1000/- रुपये प्रति माह से अधिक है अनुलाभ के मूल्य में से कर्मचारी को भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी।

VI यात्री माल का वहन [नियम 3(6)]: किसी नियोक्ता द्वारा, जो यात्रियों या माल के वहन में लगा हुआ है, किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को यात्रियों या माल के परिवहन के प्रयोजनार्थ ऐसे नियोक्ता के स्वामित्व वाले, पट्टे पर लिए गए या किसी अन्य व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी वाहन में निःशुल्क या रियायती किराए पर व्यक्तिगत या निजी यात्रा के प्रावधान से उत्पन्न किसी लाभ या सुविधा का मूल्य, उस मूल्य के रूप में लिया जाएगा जिस पर ऐसे

नियोक्ता द्वारा जनता को ऐसा लाभ या सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें से ऐसे लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई या उससे वसूल की गई राशि, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी। यह किसी एयरलाइन या रेलवे के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

VII ब्याज मुक्त या रियायती ऋण [नियम 3(7)(i)] : कर्मचारियों या उसके परिवार के किसी सदस्य को ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान करना, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में, आम प्रथा है। ऐसे ऋणों से उत्पन्न होने वाले अनुलाभ का मूल्य, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वास्तव में चुकाए गए ब्याज, यदि कोई हो, पर निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज की अधिकता होगी। निर्धारित ब्याज दर अब भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के पहले दिन समान प्रकार के और समान उद्देश्य के लिए आम जनता को दिए गए ऋणों के संबंध में प्रति वर्ष ली जाने वाली दर होगी। अनुलाभ मूल्य की गणना अधिकतम बकाया मासिक शेष विधि के आधार पर की जाएगी। इस नियम के तहत अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता द्वारा अपनाई गई गणना और समायोजन की कोई अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगी। हालांकि, कुल मिलाकर 20,000/- रुपये तक के छोटे ऋणों को छूट दी गई है।

नियम 3ए में निर्दिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार हेतु ऋण भी छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु ऋण की राशि किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति न की गई हो। जहाँ कोई चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है, वहाँ प्रतिपूर्ति की तिथि से प्रतिपूर्ति की गई राशि पर निर्धारित दर से अनुलाभ मूल्य लिया जाएगा, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिए गए बकाया ऋण के विरुद्ध पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा।

VIII यात्रा, भ्रमण, आवास और किसी भी अन्य व्यय के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति की गई किसी भी छुट्टी के लिए अनुलाभ [नियम 3(7)(ii)]:

कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ली गई किसी भी छुट्टी के लिए नियोक्ता द्वारा यात्रा, भ्रमण, आवास और अन्य व्ययों के लिए भुगतान या प्रतिपूर्ति की गई अनुलाभ राशि, अवकाश यात्रा रियायत (धारा 10(5) के अनुसार) के अलावा, नियोक्ता द्वारा उस संबंध में किए गए व्यय की राशि होगी। हालांकि, कर्मचारी से वसूली गई या उसके द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि इस प्रकार निर्धारित अनुलाभ मूल्य से कम कर दी जाएगी।

जहाँ ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा संचालित की जाती है और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं होती, वहाँ लाभ का मूल्य वह मूल्य माना जाएगा जिस पर अन्य एजेंसियों द्वारा जनता को ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यदि अवकाश सुविधा नियोक्ता द्वारा संचालित की जाती है और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है, तो ऐसे लाभ का मूल्य कर-मुक्त होगा।

जहाँ कर्मचारी सरकारी दौर पर है और उसके साथ आए उसके परिवार के किसी सदस्य के संबंध में व्यय किया जाता है, वहाँ परिवार के सदस्य के संबंध में व्यय की राशि अनुलाभ मानी जाएगी।

IX नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए सब्सिडीयुक्त/निःशुल्क भोजन/गैर-मादक पेय का मूल्य [नियम 3(7)(iii)]:

कर योग्य अनुलाभ का मूल्य निम्नानुसार गणना किया जाता है:

नियोक्ता द्वारा भोजन/गैर-मादक पेय पदार्थों के मूल्य पर किया गया व्यय, जिसमें 'भुगतान किए गए वाउचर शामिल हैं जो हस्तांतरणीय नहीं हैं और केवल भोजनालयों में उपयोग किए जा सकते हैं'

XXX

घटाएँ: प्रति भोजन 50/- रुपये की निश्चित राशि

XXX

घटाएँ: कर्मचारी से वसूली गई राशि

XXX XXX

शेष राशि कर्मचारियों को प्रदान किए गए भोजन के मूल्य पर अनुलाभ के रूप में कर योग्य है

XXX

नोट: निम्नलिखित स्थितियों में छूट दी गई है:

1. कार्य समय में चाय/नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है।
2. दूरस्थ क्षेत्र या अपतटीय प्रतिष्ठान में कार्य समय के दौरान भोजन और गैर-अल्कोहलिक पेय उपलब्ध कराया जाता है।

X उपहार [नियम 3(7)(iv)]:

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को दिए गए किसी भी उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्य, जिसके बदले में ऐसा उपहार प्राप्त किया जा सकता है, अनुलाभ के रूप में कर योग्य है। हालांकि, कुल मिलाकर प्रति वर्ष 5,000 रुपये से कम के उपहार आदि पर कर छूट होगी।

XI सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क [नियम 3(7)(v)] : कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी भी सदस्य) द्वारा लिया गया कोई भी सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क, जो नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट कार्ड (किसी भी ऐड-ऑन कार्ड सहित) से लिया जाता है, या अन्यथा, नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है या प्रतिपूर्ति की जाती है, निम्नलिखित आधार पर कर योग्य है:

नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि

XXX

घटाएँ : आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर व्यय	XXX	
घटाएँ: कर्मचारी से वसूली गई राशि, यदि कोई हो	XXX	XXX
अनुलाभ के रूप में कर योग्य राशि		XXX

हालाँकि, यदि राशि पूरी तरह से और विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती है, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर इसे छूट दी जाएगी:

- (i) नियोक्ता द्वारा ऐसे व्यय का पूरा विवरण, व्यय की तिथि और प्रकृति सहित, रखा जाता है।
- (ii) नियोक्ता एक प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से कार्यालयीन उद्देश्य के लिए किया गया था।

बारहवीं क्लब व्यय [नियम 3(7)(vi)]:

क्लब सुविधा के लिए कोई भी वार्षिक या आवधिक शुल्क और कर्मचारी (या उसके परिवार के किसी भी सदस्य) द्वारा क्लब में किया गया कोई भी व्यय, जिसका भुगतान या प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है, निम्नलिखित आधार पर कर योग्य है:

नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि		XXX
घटाएँ : आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर व्यय	XXX	
घटाएँ: कर्मचारी से वसूली गई राशि, यदि कोई हो	XXX	XXX
अनुलाभ के रूप में कर योग्य राशि		XXX

हालाँकि, यदि राशि पूरी तरह से और विशेष रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती है, तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर इसे छूट दी जाएगी

- (i) ऐसे व्यय का पूरा विवरण, जिसमें व्यय की तिथि और प्रकृति तथा उसकी व्यावसायिक समीचीनता शामिल है, नियोक्ता द्वारा रखा जाता है।
- (ii) नियोक्ता एक प्रमाण पत्र देता है कि यह व्यय पूर्णतः तथा विशेष रूप से कार्यालयीन उद्देश्य के लिए किया गया था।

नोट: (1) नियोक्ता द्वारा अपने परिसर में सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य क्लब, खेल सुविधाएं आदि और उन पर किए गए व्यय को छूट दी गई है।

(2) कॉर्पोरेट या संस्थागत सदस्यता के लिए प्रारंभिक एकमुश्त जमा या शुल्क, जहाँ किसी कर्मचारी के पास रोजगार समाप्त होने के बाद भी लाभ शेष नहीं रहता, करमुक्त हैं। ऐसे मामले में प्रारंभिक शुल्क/जमा शामिल नहीं है।

XIII परिसंपत्तियों का उपयोग [नियम 3(7)(vii)]: नियोक्ता के स्वामित्व वाली नियम 3 के अन्य उपनियमों में उल्लिखित चल परिसंपत्तियों के अलावा किसी अन्य चल परिसंपत्ति का उपयोग कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया जाना सामान्य प्रथा है। यह अनुलाभ परिसंपत्ति की मूल लागत के 10% की दर से लिया जाएगा, जिसमें ऐसे उपयोग के लिए कर्मचारी से वसूले गए किसी भी शुल्क को घटा दिया जाएगा। हालाँकि, कंप्यूटर और लैपटॉप के उपयोग से कोई अनुलाभ नहीं मिलेगा।

XIV परिसंपत्तियों का हस्तांतरण [नियम 3(7)(viii)]: अक्सर एक कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को नियोक्ता से बिना किसी लागत के या उसके बाजार मूल्य से कम लागत पर चल परिसंपत्ति (शेयर या प्रतिभूतियां नहीं) के हस्तांतरण से लाभ होता है। चल परिसंपत्ति (शेयर या प्रतिभूतियां नहीं) की मूल लागत और कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, के बीच का अंतर अनुलाभ के मूल्य के रूप में लिया जाएगा। चल परिसंपत्ति के मामले में, जिसे पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है, परिसंपत्ति के उपयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए मूल लागत में से 10% की राशि मूल लागत से कम हो जाएगी। हालाँकि, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में अप्रचलन की उच्च डिग्री के कारण, उपयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए कम करने वाली शेष राशि विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50% कम करके अनुलाभ का मूल्य तैयार किया जाएगा। इनमें घरेलू उपकरण (अर्थात् सफेद सामान) जैसे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन आदि शामिल नहीं हैं। इसी प्रकार, कारों के मामले में, अनुलाभ का मूल्य उपयोग के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए घटते संतुलन विधि द्वारा इसकी वास्तविक लागत का 20% कम करके निकाला जाएगा।

नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति वित्त अधिनियम, 2018 के संशोधन के अनुसार , चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कुल राशि को धारा 17(2) के तहत अनुलाभ के रूप में लिया जाना है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुलाभों के मूल्यांकन की विधि अधिनियम की धारा 17(2) और नियमों के नियम 3 में दी गई है। कटौतीकर्ता कटौती के प्रयोजनों के लिए अनुलाभ मूल्य निर्धारित करने से पहले उपरोक्त प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं।

5.2.3 'वेतन के बदले लाभ' में शामिल होगा

- मैं। करदाता द्वारा अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से उसके रोजगार की समाप्ति या उससे संबंधित नियमों और शर्तों में संशोधन के संबंध में देय या प्राप्त किसी मुआवजे की राशि ;

द्वितीय. धारा 10 के खंड (10), (10ए), (10बी), (11), (12), (13) या (13ए) में निर्दिष्ट किसी भुगतान को छोड़कर, जो किसी करदाता को देय हो या उसके द्वारा किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से या किसी भविष्य निधि या अन्य निधि से प्राप्त किया गया हो, उस सीमा तक जहां तक इसमें करदाता द्वारा अंशदान या ऐसे अंशदानों पर ब्याज या किसी कीमन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि शामिल नहीं है, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है।

"कीमन बीमा पॉलिसी" का वही अर्थ होगा जो धारा 10(10डी) में दिया गया है;

तृतीय. करदाता द्वारा किसी भी व्यक्ति से देय या प्राप्त की गई कोई भी राशि, चाहे एकमुश्त या अन्यथा -

(ए) उस व्यक्ति के साथ कोई रोजगार शुरू करने से पहले; या

(बी) उस व्यक्ति के साथ अपनी नौकरी समाप्त होने के बाद।

5.3 "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत शामिल न की गई आय (छूट)

निम्नलिखित में से किसी भी खंड के अंतर्गत आने वाली कोई भी आय अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं की जाएगी : -

5.3.1 किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से स्वयं और अपने परिवार के लिए प्राप्त या देय किसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य, (क) भारत में किसी स्थान पर छुट्टी पर जाने या (ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद, या भारत में किसी स्थान पर सेवा समाप्ति के बाद जाने के संबंध में, धारा 10(5) के तहत छूट प्राप्त है, हालांकि, नियमों के नियम 2बी में निर्धारित शर्तों के अधीन।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ है:

(मैं) व्यक्ति के पति/पत्नी और बच्चे; और

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी, जो पूरी तरह या मुख्य रूप से व्यक्ति पर निर्भर हो।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस खंड के अंतर्गत छूट प्राप्त राशि किसी भी स्थिति में ऐसी यात्रा के प्रयोजन के लिए वास्तव में किए गए व्यय की राशि से अधिक नहीं होगी।

जैसा कि पैरा 4.6.5 में चर्चा की गई है, नियम 26सी के साथ धारा 192 (2डी) के अनुसार डीडीओ के लिए छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता के लिए छूट के दावे के संबंध में विवरण/साक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है, उक्त छूट की अनुमति देने से पहले, कर्मचारी द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक फॉर्म फॉर्म 12बीबी है।

5.3.2 मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी या कोई अन्य ग्रेच्युटी धारा 10(10) के तहत कुल आय की गणना में शामिल करने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट प्राप्त है। केंद्र सरकार के संशोधित पेंशन नियमों या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों या संघ के तहत रक्षा या नागरिक पदों से जुड़े पदों के धारकों (ऐसे सदस्य या धारक उक्त नियमों द्वारा शासित नहीं होने वाले व्यक्ति हैं) या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों या किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों या राज्य के तहत नागरिक पदों के धारकों या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को लागू किसी भी समान योजना के तहत प्राप्त किसी भी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी या रक्षा सेवा के सदस्यों पर लागू पेंशन कोड या विनियमों के तहत प्राप्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का कोई भुगतान छूट प्राप्त है। ऊपर वर्णित के अलावा अन्य मामलों में, सेवानिवृत्ति, समाप्ति आदि पर प्राप्त ग्रेच्युटी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक छूट प्राप्त है। 20 लाख रुपये 29.03.2018 से प्रभावी [अधिसूचना संख्या 16/2019/एफ. संख्या 200/8/2018-आईटीए-I दिनांक 08.03.2019]

5.3.3 केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (संराशीकरण) नियमों के तहत या संघ की सिविल सेवाओं के सदस्यों या संघ के तहत रक्षा या सिविल पदों से जुड़े पदों के धारकों (ऐसे सदस्य या धारक उक्त नियमों द्वारा शासित नहीं होने वाले व्यक्ति हैं) या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों या रक्षा सेवाओं के सदस्यों या किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों या राज्य के तहत सिविल पदों के धारकों या किसी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों] या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम को लागू किसी भी समान योजना के तहत प्राप्त पेंशन के संराशीकरण में कोई भी भुगतान धारा 10 (10 ए) (i) के तहत छूट प्राप्त है। किसी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के तहत प्राप्त पेंशन के संराशीकरण में भुगतान के संबंध में, छूट धारा 10 (10 ए) (ii) के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इसके अलावा, धारा 10 (23 एबी) में निर्दिष्ट फंड से पेंशन के संराशीकरण में कोई भी भुगतान धारा 10 (10 ए) (iii) के तहत छूट प्राप्त है।

5.3.4 केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के नकद समतुल्य के रूप में प्राप्त कोई भी भुगतान , चाहे वह अधिवर्षिता पर हो या अन्यथा, धारा 10(10 ए)(i) के तहत छूट प्राप्त है। अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट अधिकतम दस महीने की छुट्टी के अधीन, अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा छुट्टी के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। यह छूट भारत सरकार की अधिसूचना संख्या SO588(E) दिनांक 31.05.2002 द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि 3,00,000/- रुपये तक सीमित होगी, जो ऐसे कर्मचारियों के संबंध में है जो 1.4.1998 के बाद, चाहे अधिवर्षिता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त होते हैं।

5.3.5 धारा 10(10बी) के तहत, किसी कामगार को मिलने वाला **छंटनी मुआवजा** कुछ सीमाओं के अधीन आयकर से मुक्त है। छंटनी मुआवजे की अधिकतम छूट राशि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ(बी) में दिए गए आधार पर गणना की गई राशि या 50,000/- रुपये से कम नहीं की कोई राशि है, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, जो भी कम हो। ये सीमाएं उस मामले में लागू नहीं होंगी जहां मुआवजे का भुगतान किसी भी योजना के तहत किया जाता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया है, जिसमें उस उपक्रम में कामगारों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है जिस पर यह योजना लागू होती है। ऐसे भुगतान की अधिकतम सीमा 5,00,000/- रुपये है जहां छंटनी 1.1.1997 को या उसके बाद हुई है जैसा कि अधिसूचना संख्या 10969 दिनांक 25-06-1999 में निर्दिष्ट है।

5.3.6 धारा 10(10सी) के अंतर्गत, निम्नलिखित निकायों के किसी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के समय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी योजना या **योजनाओं के अनुसार** या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में **स्वैच्छिक पृथक्करण की योजना के तहत प्राप्त या प्राप्य कोई भी भुगतान (भले ही किशतों में प्राप्त हुआ हो)** उस सीमा तक आयकर से मुक्त है, जब तक कि ऐसी राशि 5,00,000/- रुपये से अधिक न हो:

- (ए) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;
- (बी) कोई अन्य कंपनी;
- (सी) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित प्राधिकरण;
- (डी) एक स्थानीय प्राधिकरण;
- (ई) एक सहकारी समिति;
- (एफ) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित संस्थान;
- (जी) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 3 (जी) के अर्थ के भीतर कोई भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;
- (एच) ऐसा प्रबंध संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत प्राप्त राशि पर छूट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पूरे भारत या किसी राज्य या राज्यों में महत्वपूर्ण अधिसूचित संस्थानों के कर्मचारियों को भी प्रदान की गई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जहाँ किसी कर्मचारी को किसी निर्धारण वर्ष के लिए यह छूट दी गई है, वहाँ उसे किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए यह छूट नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर प्राप्त राशि के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 89 के अंतर्गत छूट दी गई है, तो धारा 10(10सी) के अंतर्गत कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

5.3.7 जीवन बीमा पॉलिसी [धारा 10(10डी)] के तहत प्राप्त कोई भी राशि, जिसमें निम्नलिखित के अलावा ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि शामिल है, धारा 10(10डी) के तहत छूट प्राप्त है:

- (मैं) डीडी(3) या धारा 80 डीडी(3) के तहत प्राप्त कोई राशि ; या
- (ii) कीमैन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि; या
- (iii) 1.4.2003 को या उसके बाद, किन्तु 31-03-2012 को या उससे पहले जारी की गई किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि, जिसके संबंध में पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 20 प्रतिशत से अधिक हो; या
- (iv) 1.4.2012 को या उसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि जिसके संबंध में पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक है; या
- (वी) धारा 80यू के अनुसार विकलांग व्यक्तियों या गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों या धारा 80डीडीबी में निर्दिष्ट बीमारी या व्याधि से पीड़ित व्यक्तियों के मामले में 1.4.2013 को या उसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि, जिसके संबंध में पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि के 15 प्रतिशत से अधिक है।

हालाँकि, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उपरोक्त (iii), (iv) और (v) में उल्लिखित ऐसी पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि कर मुक्त होगी।

अधिनियम की धारा 10 (12ए) के तहत, **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** ट्रस्ट से किसी करदाता को उसके खाते को बंद करने पर या धारा 80सीसीडी में निर्दिष्ट पेंशन योजना से बाहर निकलने पर कोई भी भुगतान, वित्तीय वर्ष 2019-20 [वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित] से साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होने की सीमा तक, योजना से बाहर निकलने के ऐसे बंद होने के समय उसे देय कुल राशि के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 10 (12बी) के तहत, **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** ट्रस्ट से कोई भी भुगतान

धारा 80सीसीडी में निर्दिष्ट पेंशन योजना के तहत किसी कर्मचारी को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए

गए विनियमन के तहत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार उसके खाते से आंशिक निकासी पर, उस सीमा तक छूट दी जाएगी, जो उसके द्वारा किए गए योगदान की राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

5.3.8 भविष्य निधि से कोई भी भुगतान, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और आधिकारिक राजपत्र में इसके द्वारा अधिसूचित किसी अन्य भविष्य निधि से कोई भी भुगतान धारा 10(11) के तहत छूट प्राप्त है।

5.3.9 अधिनियम की धारा 10(13ए) के अंतर्गत, किसी करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा उसके आवास के संबंध में किराए (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया कोई भी विशेष भत्ता, उस क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जहाँ ऐसा आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित सीमा तक आयकर से मुक्त है। नियमों के नियम 2ए के अनुसार, किराए के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता प्रदान करने के कारण स्वीकार्य छूट की मात्रा निम्नलिखित में से कम से कम होगी:

- (ए) करदाता द्वारा प्राप्त ऐसे भत्ते की वास्तविक राशि, अर्थात् वह अवधि जिसके दौरान वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता द्वारा आवास का उपयोग किया गया था ; या
- (बी) प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के दसवें हिस्से से अधिक किराए के भुगतान में किया गया वास्तविक व्यय; या
- (में) जहां ऐसा आवास बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास में स्थित है, वहां कर्मचारी को संबंधित अवधि के लिए देय वेतन का 50%; या
- (ii) जहां ऐसा आवास किसी अन्य स्थान पर स्थित है, वहां कर्मचारी को संबंधित अवधि के लिए देय वेतन का 40% देय होगा।

इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" में महंगाई भत्ता शामिल है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा प्रावधान है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं इसमें शामिल नहीं हैं। करदाता द्वारा अधिग्रहीत आवासीय आवास के किराए के भुगतान पर वास्तव में किया गया व्यय ही आयकर से छूट के लिए पात्र है। इस प्रकार, अपने स्वामित्व वाले मकान/फ्लैट में रहने वाले कर्मचारी को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता आयकर से मुक्त नहीं है।

जैसा कि पैरा 4.6.5 में चर्चा की गई है, नियम 26सी के साथ धारा 192 (2डी) के अनुसार डीडीओ के लिए मकान किराया भत्ते के लिए छूट के संबंध में निम्नलिखित विवरण/साक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है।

- (में) मकान मालिक को दिया गया किराया
- (ii) मकान मालिक का नाम
- (iii) मकान मालिक का पता
- (iv) मकान मालिक का पैन या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो

जहां वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक है, वहां कर्मचारी को फॉर्म 12बीबी में ये विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5.3.10 धारा 10(14) निम्नलिखित भत्तों से छूट प्रदान करती है: -

(i) किसी कर्मचारी को नियम 2बीबी के तहत निर्धारित अपने कर्तव्यों के निष्पादन में पूर्णतः, अनिवार्यतः और अनन्य रूप से किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई विशेष भत्ता या लाभ, इस सीमा के अधीन कि ऐसे व्यय वास्तव में उस प्रयोजन के लिए किए गए हैं।

(ii) किसी कर्मचारी को उसकी तैनाती के स्थान पर या जहां वह सामान्यतः निवास करता है, उसके व्यक्तिगत व्ययों को पूरा करने के लिए या जीवन-यापन की बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता , जो निर्धारित किया जा सकता है और उस सीमा तक, जैसा निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, उपर्युक्त (ii) में निर्दिष्ट भत्ता व्यक्तिगत भत्ते की प्रकृति का नहीं होना चाहिए जो करदाता को उसके कार्यालय या रोजगार से संबंधित विशेष प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है, जब तक कि ऐसा भत्ता उसकी तैनाती या निवास स्थान से संबंधित न हो।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी कर्मचारी को दिया गया कोई भी भत्ता, जो नियम 2BB के साथ धारा 10(14) के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है, या नियम के अंतर्गत निर्धारित राशि से अधिक भत्ते की राशि, वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। उदाहरण के लिए , किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्ति के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण भत्ते पर नियम 2BB में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, इसलिए संपूर्ण प्रशिक्षण भत्ता वेतन में शामिल किया जाएगा।

i) और 10(14) (ii) के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या एसओ 617(ई) दिनांक 7 जुलाई, 1995 (एफ.सं.142/9/95- टीपीएल) के तहत दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिन्हें अधिसूचना एसओ संख्या 403(ई) दिनांक 24.4.2000 (एफ.सं.142/34/99-टीपीएल) के तहत संशोधित किया गया है। नियम 2बीबी में संशोधन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए परिवहन भत्ते के संबंध में छूट केवल दृष्टिहीन या अस्थि विकलांग तथा निचले अंगों में विकलांगता वाले व्यक्ति को ही अपने निवास स्थान और अपने कर्तव्य स्थल के बीच आवागमन के व्यय को पूरा करने के लिए 3200 रुपये प्रति माह तक उपलब्ध होगी।

5.3.11 अधिनियम की धारा 10(15)(iv)(i) के अंतर्गत, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा अपने सेवानिवृत्ति लाभों में से, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई और राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार जमा राशि पर सरकार द्वारा देय ब्याज आयकर से मुक्त है। अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II दिनांक 7.6.89 द्वारा, जैसा कि अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II दिनांक 12.10.89 द्वारा संशोधित किया गया है, केंद्र सरकार ने उक्त खंड के प्रयोजनार्थ **सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989 नामक एक योजना अधिसूचित की है।**

5.3.12 शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी छात्रवृत्ति को अधिनियम की धारा 10(16) के प्रावधानों के अनुसार कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

5.3.13 धारा 10(18) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेंशन के रूप में प्राप्त किसी भी आय पर कर से छूट प्रदान करती है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो और जिसे "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" या केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किसी अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। ऐसे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन भी कर से छूट प्राप्त है [अधिसूचना संख्या SO1948(E) दिनांक 24.11.2000 और 81(E) दिनांक 29.1.2001, जो अनुलग्नक VIII और IX के अनुसार संलग्न हैं]। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10(5) में निर्दिष्ट है।

डीडीओ दावे की सत्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ऐसे पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के मामले में कोई कर नहीं काट सकता है।

5.3.14 अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में भी कर से छूट उपलब्ध होगी:-

- (ए) नियोक्ता द्वारा संचालित किसी अस्पताल में किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को प्रदान की गई किसी भी **चिकित्सा उपचार** का मूल्य ;
- (बी) कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर वास्तव में किए गए किसी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि;
- (में) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी अस्पताल में या सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल में;
- (ii) ए(2) में यथा उपबंधित निर्धारित रोगों या व्याधियों के संबंध में, नियमों के नियम 3(ए)(1) में यथा उपबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल में,
- (सी) नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए लिए गए चिकित्सा बीमा के संबंध में भुगतान किया गया प्रीमियम (केन्द्रीय सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत) या उन कर्मचारियों को बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति जो स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेते हैं (केन्द्रीय सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत);
- (डी) विदेश में चिकित्सा उपचार के संबंध में, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के विदेश में रहने और उपचार पर, या ऐसे उपचार के संबंध में रोगी के साथ आए किसी एक परिचारक के विदेश में रहने पर होने वाला वास्तविक व्यय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक, अनुलाभों से बाहर रखा जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रोगी/परिचारक द्वारा विदेश यात्रा पर किया गया व्यय, अनुलाभों से केवल तभी बाहर रखा जाएगा जब कर्मचारी की सकल कुल आय, जैसा कि उक्त व्यय को शामिल करते हुए पूर्व गणना की गई है, 2 लाख रुपये से अधिक न हो।

चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय पर छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से, "अस्पताल" में डिस्पेंसरी, क्लिनिक या नर्सिंग होम शामिल हैं, और किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ उस व्यक्ति के पति/पत्नी और बच्चे हैं। परिवार में व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन भी शामिल हैं, यदि वे पूरी तरह या मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि अधिनियम की धारा 10(13ए), 10(5), 10(14), 17 आदि के अंतर्गत विशेष रूप से छूट प्राप्त लाभ भी छूट प्राप्त बने रहेंगे। इनमें मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत, दौरे और स्थानांतरण पर यात्रा व्यय भत्ता, निर्धारित दौरे के खर्चों को पूरा करने के लिए दैनिक भत्ता, और शर्तों के अधीन चिकित्सा सुविधाएँ शामिल हैं।

5.3.15 इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 2BB के साथ पठित धारा 10(14) के अनुसार, दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिए गए किसी भी भत्ते में स्थानांतरण, पैकिंग और ऐसे स्थानांतरण पर व्यक्तिगत सामान के परिवहन के संबंध में भुगतान की गई कोई भी राशि शामिल है, वह छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा, स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए, किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कर्तव्य स्थल से अनुपस्थिति के कारण किए गए सामान्य दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भी भत्ता छूट प्राप्त होगा।

5.4 अधिनियम की धारा 16 के तहत कटौती

आईए) के तहत मानक कटौती :

वित्तीय वर्ष 2019-20 से पचास हजार रुपये या वेतन की राशि जो भी कम हो, की कटौती मानक कटौती के रूप में दी जाएगी।

5.4.2 मनोरंजन भत्ता [धारा 16(ii)]:

धारा 16(ii) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले करदाता को विशेष रूप से दिए गए मनोरंजन भत्ते के संबंध में भी कटौती की अनुमति है। यह कटौती उसके वेतन के पाँचवें भाग (किसी भी भत्ते, लाभ या अन्य अनुलाभ को छोड़कर) या पाँच हजार रुपये, जो भी कम हो, के बराबर होगी। गैर-सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते के कारण कोई कटौती उपलब्ध नहीं है।

5.4.3 रोजगार पर कर [धारा 16(iii)]:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अर्थ में रोजगार पर कर (व्यावसायिक कर), जो किसी कानून द्वारा या उसके अधीन लगाया जा सकता है, को भी "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

5.5 अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत कटौती

कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना करते समय, अधिनियम के अध्याय VI-ए के तहत उसकी सकल कुल आय से निम्नलिखित कटौतियाँ की जाएँगी:

5.5.1 जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अंशदान, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचर आदि में अभिदान के संबंध में कटौती (धारा 80सी)

धारा 80सी के तहत कर्मचारी को चालू वित्त वर्ष में निम्नलिखित योजनाओं में भुगतान या जमा की गई पूरी राशि के लिए कटौती का अधिकार मिलता है, जिसकी सीमा 1,50,000 रुपये तक है :

- (1) किसी व्यक्ति, उसके पति/पत्नी या बच्चे के जीवन पर बीमा लागू करने या उसे जारी रखने के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान।
- (2) आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध को प्रभावी करने या लागू रखने के लिए किया गया कोई भुगतान, जो वार्षिकी योजना नहीं है जैसा कि नीचे मद (7) में संदर्भित है, व्यक्ति, व्यक्ति के पति या पत्नी या किसी बच्चे के जीवन पर, बशर्ते कि ऐसे अनुबंध में बीमाधारक द्वारा वार्षिकी के भुगतान के बदले नकद भुगतान प्राप्त करने के विकल्प के प्रयोग का प्रावधान नहीं है;
- (3) सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को देय वेतन से कटौती की गई कोई राशि, जो उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार उसे आस्थगित वार्षिकी प्राप्त करने या उसके पति/पत्नी या बच्चों के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से कटौती की गई राशि हो, जहां तक कटौती की गई राशि वेतन के 1/5वें भाग से अधिक न हो;
- (4) कोई भी योगदान दिया गया:
- (ए) किसी व्यक्ति द्वारा किसी भविष्य निधि में, जिस पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है;
- (बी) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी भविष्य निधि में, तथा इस संबंध में उसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचित, जहां ऐसा अंशदान किसी व्यक्ति, या पति/पत्नी या बच्चों के नाम पर खाते में है;
[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1559 (ई) दिनांक 3.11.05 के तहत सार्वजनिक भविष्य निधि को अधिसूचित किया है]
- (सी) किसी कर्मचारी द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में जमा की गई राशि;
- (डी) किसी कर्मचारी द्वारा अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में जमा की गई राशि;
यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी निधि में "योगदान" में ऋण या अग्रिम की अदायगी में कोई राशि शामिल नहीं होगी;
- (5) वर्ष के दौरान सदस्यता के रूप में भुगतान या जमा की गई कोई भी राशि: -
(ए) कर्मचारी के नाम पर या उस कर्मचारी की किसी बालिका के नाम पर, जिसके अंतर्गत ऐसी बालिका भी है जिसके लिए कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की किसी ऐसी प्रतिभूति या किसी ऐसी जमा योजना में विधिक संरक्षक है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे;
[केंद्र सरकार ने अधिसूचना जीएसआर संख्या 863(ई) दिनांक 02.12.2014 के तहत "सुकन्या समृद्धि खाता" योजना को अधिसूचित किया है]
- (बी) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2(सी) के तहत परिभाषित किसी भी ऐसे बचत प्रमाणपत्र पर, जिसे सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

- (सी) [केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1560 (ई) दिनांक 3.11.05 के तहत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां अंक) और अधिसूचना जीएसआर 848 (ई), दिनांक 29 नवंबर, 2011 के तहत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX अंक) को अधिसूचित किया है, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IX- अंक) नियम, 2011 जीएसआर 868 (ई), दिनांक 7 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र IX अंक को बचत प्रमाणपत्रों की श्रेणी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है एफ सं.1-13/2011-एनएस-II आर/डब्ल्यू संशोधन अधिसूचना सं. जीएसआर 319 (ई), दिनांक 25-4-2012]
- (6) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं, पति/पत्नी या किसी बच्चे के लिए अंशदान के रूप में दी गई कोई राशि,
एक/ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान, 1971 में भागीदारी के लिए;
बी/ धारा 10 (23डी) में संदर्भित और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट-लिंकड बीमा योजना में भागीदारी के लिए
- [केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1561 (ई) दिनांक 3.11.05 के तहत एलआईसी म्यूचुअल फंड की यूनिट लिंकड इश्योरेंस प्लान (जिसे पहले धनरक्षा , 1989 के नाम से जाना जाता था) को अधिसूचित किया है।]
- (7) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए अनुबंध को प्रभावी बनाने या लागू रखने के लिए किया गया कोई भी अंशदान, जिसे केंद्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;
[केंद्र सरकार ने अधिसूचना एसओ संख्या 1562(ई) दिनांक 3.11.05 के तहत नई जीवन धारा, नई जीवन धारा-I, नई जीवन अक्षय, नई जीवन अक्षय-I और नई जीवन अक्षय-II और अधिसूचना एसओ संख्या 847(ई) दिनांक 1.6.2006 के तहत जीवन अक्षय-III को अधिसूचित किया है]
- (8) धारा 10(23डी) के अंतर्गत किसी म्यूचुअल फंड की किसी यूनिट में, या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी से, किसी योजना के अनुसार तैयार की गई किसी योजना के अंतर्गत किया गया कोई अंशदान, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
[केंद्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दिनांक 3.11.2005 की अधिसूचना एसओ संख्या 1563(ई) के तहत इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम, 2005 को अधिसूचित किया है]
इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम, 1992 या इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम, 1998 के अनुसार तैयार की गई योजनाओं में 1.4.2006 के बाद किए गए निवेश भी धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र होंगे।
- (9) धारा 10(23डी) में निर्दिष्ट किसी म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई योगदान, या, प्रशासक या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में परिभाषित निर्दिष्ट कंपनी द्वारा, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
[केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए दिनांक 3.11.2005 की अधिसूचना एसओ संख्या 1563(ई) के तहत इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम, 2005 को अधिसूचित किया है]
- (10) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी ऐसी जमा योजना में किया गया कोई अंशदान या किसी ऐसी पेंशन निधि में किया गया कोई अंशदान, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे;
- (11) किसी ऐसी जमा योजना में किया गया कोई अंशदान, जिसे केन्द्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करे: (क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई हैं, या, (ख) भारत में गठित कोई प्राधिकरण जो किसी कानून के तहत या उसके द्वारा, आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए, या दोनों के लिए अधिनियमित किया गया है।
[केंद्र सरकार ने धारा 80सी(2)(xvi)(ए) के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना एसओ संख्या 37(ई), दिनांक 11.01.2007 के तहत हुडको की सार्वजनिक जमा योजना को अधिसूचित किया है।]
- (12) किसी आवासीय गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य से करदाता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि , जिससे प्राप्त आय "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है (या जो यदि करदाता के अपने निवास के लिए उपयोग नहीं की गई होती, तो उस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती) जहां ऐसे भुगतान किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड आदि की किसी स्व-वित्तपोषण या अन्य योजना के अंतर्गत देय राशि के किसी किस्त या आंशिक भुगतान के माध्यम से किए जाते हैं।
करदाता द्वारा सरकार, किसी बैंक, जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, या भारत में मकान निर्माण या खरीद के लिए दीर्घकालिक

वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे कुछ अन्य श्रेणी के संस्थानों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में भी स्वीकार्य होगी। नियोक्ता से लिए गए ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान को भी कवर किया जाएगा, यदि नियोक्ता कोई सार्वजनिक कंपनी, या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय, या ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई महाविद्यालय, या कोई स्थानीय प्राधिकरण, या कोई सहकारी समिति, या कोई प्राधिकरण, या कोई बोर्ड, या कोई निगम, या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित कोई अन्य निकाय है।

हस्तांतरण के उद्देश्य से किए गए स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च भी कवर किए जाएंगे। हालाँकि, गृह संपत्ति की लागत के भुगतान में प्रवेश शुल्क, शेयर या प्रारंभिक जमा राशि की लागत या गृह संपत्ति में किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन, या नवीनीकरण या मरम्मत की लागत शामिल नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, या करदाता द्वारा घर पर कब्जा करने के बाद या उसे किराए पर दिए जाने के बाद की जाती है। अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत कटौती योग्य किसी भी व्यय के भुगतान को भी गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत के भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा।

जहां गृह संपत्ति, जिसके संबंध में इन प्रावधानों के तहत कटौती की अनुमति दी गई है, को करदाता द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्थानांतरित किया जाता है जिसमें ऐसी संपत्ति का कब्जा उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या वह रिफंड के माध्यम से या अन्यथा धारा 80 सी (2) (xviii) में निर्दिष्ट किसी भी राशि को वापस प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती ऐसे पिछले वर्ष में भुगतान की गई ऐसी राशियों के संबंध में अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें स्थानांतरण किया गया है और पहले के वर्षों में अनुमत आय की कटौती की कुल राशि ऐसे पिछले वर्ष की करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाएगी और तदनुसार कर के लिए उत्तरदायी होगी।

- (13) कर्मचारी के किन्हीं दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के उद्देश्य से भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को प्रवेश के समय या उसके बाद दी गई ट्यूशन फीस।

पूर्णकालिक शिक्षा में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी छात्र को प्रदान किया जाने वाला कोई भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम शामिल है, जो उक्त पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक रूप से नामांकित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्णकालिक शिक्षा में प्ले-स्कूल गतिविधियाँ, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाएँ शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ट्यूशन फीस के रूप में स्वीकार्य राशि में भारत में किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को किया गया कोई भी शुल्क शामिल होगा, सिवाय विकास शुल्क या दान या कैपिटेशन फीस या इसी प्रकार के भुगतान के रूप में भुगतान की गई राशि को छोड़कर।

- (14) किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी पूंजी के किसी पात्र निर्गम का हिस्सा बनने वाले इक्विटी शेयरों या डिबेंचर का अभिदान, जिसे बोर्ड या किसी सार्वजनिक वित्त संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

- (15) धारा 10 के खंड (23डी) में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी म्यूचुअल फंड की किसी भी इकाई में अभिदान, यदि ऐसी इकाइयों में अभिदान की राशि किसी कंपनी की पूंजी के केवल पात्र निर्गम में अभिदत्त की जाती है।

- (16) किसी अनुसूचित बैंक में कम से कम पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में निवेश, जो इन प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में तैयार और अधिसूचित योजना के अनुसार हो।

[केंद्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दिनांक 28.7.2006 की अधिसूचना एसओ संख्या 1220(ई) के तहत बैंक सावधि जमा योजना, 2006 को अधिसूचित किया है।]

- (17) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी ऐसे बांडों में अभिदान, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

- (18) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के अंतर्गत किसी खाते में किया गया कोई भी निवेश।

- (19) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अंतर्गत किसी खाते में पांच वर्ष की सावधि जमा के रूप में कोई भी निवेश।

- (20) वित्तीय वर्ष 2019-20 से, धारा 80सीसीडी में निर्दिष्ट पेंशन योजना के किसी निर्दिष्ट खाते में केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा किया गया कोई भी अंशदान -

(ए) कम से कम तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए; और

(बी) जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित योजना के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट खाता" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 20 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाता अभिप्रेत है।

बी. धारा 80 सी (3) और 80 सी (3 ए) में कहा गया है कि आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध के अलावा बीमा पॉलिसी के मामले में किसी भी प्रीमियम

या अन्य भुगतान की राशि निम्न तक सीमित है:

1 अप्रैल 2012 से पहले जारी की गई पॉलिसी

वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि का
20%

1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी

वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि का
10%

1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसी * - धारा 80 यू के अनुसार विकलांगता वाले या गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति या धारा 80डीडीबी के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट बीमारी या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति के मामले में

वास्तविक पूंजीगत बीमित राशि का
15%

*वित्त अधिनियम 2013 द्वारा प्रस्तुत

जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में वास्तविक पूंजीगत बीमा राशि का अर्थ है पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमित घटना के घटित होने पर पॉलिसी के तहत न्यूनतम बीमित राशि, जिसमें निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है -

- i. किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने के लिए सहमत, या
- ii. किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त बोनस या अन्य किसी रूप में प्राप्त किया जाने वाला कोई भी लाभा

5.5.2 कुछ पेंशन निधियों में योगदान के संबंध में कटौती (धारा 80सीसीसी)

धारा 80सीसीसी, किसी कर्मचारी को भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना के लिए धारा 10(23एबी) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन प्राप्त करने हेतु अनुबंध को प्रभावी बनाने या लागू रखने हेतु उसकी कर-योग्य आय में से भुगतान की गई या जमा की गई राशि की कटौती की अनुमति देती है। हालाँकि, कटौती में कर्मचारी के खाते में अर्जित या जमा किया गया ब्याज या बोनस, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा और यह 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। हालाँकि, यदि उपर्युक्त निधि में कर्मचारी के खाते में कोई राशि जमा है और ऊपर बताए अनुसार कटौती की अनुमति दी गई है और कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति को यह राशि, निम्नलिखित कारणों से इस खाते में अर्जित या जमा किए गए ब्याज या बोनस के साथ प्राप्त होती है।

- (i) वार्षिकी योजना का पूर्णतः या आंशिक रूप से समर्पण
- (ii) वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामिती की आय होगी और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा।
जहां कर्मचारी द्वारा भुगतान या जमा की गई किसी राशि को इस धारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, ऐसी राशि के संदर्भ में कटौती धारा 80 सी के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.5.3 केंद्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती (धारा 80सीसीडी):

धारा 80सीसीडी(1) किसी कर्मचारी को, जो 01.01.2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति हो या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति हो, या कोई अन्य करदाता व्यक्ति हो, किसी पेंशन योजना के अंतर्गत कर योग्य उसकी आय में से भुगतान की गई या जमा की गई राशि की कटौती की अनुमति देता है, जैसा कि अधिसूचना एफएन 5/7/2003- ईसीबीएंडपीआर दिनांक 22.12.2003 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस द्वारा अधिसूचित किया गया हो या जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। हालाँकि, कटौती उसके वेतन के 10% के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी (इसमें महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं शामिल नहीं हैं)।

धारा 80सीसीडी(1बी) के अनुसार, 80 सीसीडी (1) में निर्दिष्ट करदाता को उसकी आय की गणना में , केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित या अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष उसके खाते में भुगतान की गई या जमा की गई संपूर्ण राशि की कटौती की अनुमति होगी, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति होगी चाहे उप- धारा (1) के अंतर्गत कोई कटौती अनुमत हो या नहीं। हालाँकि, धारा 80सीसीडी की उप-धारा (1) और उप-धारा (1बी) दोनों के अंतर्गत एक ही राशि का दावा नहीं किया जा सकता है।

सीसीडी (2) के अनुसार , जहां उक्त पेंशन योजना में कोई योगदान केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो कर्मचारी को उसके वेतन के 10% [वित्तीय वर्ष 2019-20 से 14% तक की सीमा के अधीन केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा योगदान की गई पूरी राशि की कुल आय से कटौती की अनुमति दी जाएगी यदि राशि केंद्र सरकार द्वारा योगदान की जाती है]।

पैरा 5.3.7 में चर्चा की गई धारा 10 (12ए) और धारा 10 (12बी) के प्रावधानों के अधीन, यदि ऊपर उल्लिखित पेंशन योजना में कर्मचारी के खाते में कोई राशि जमा है और ऊपर बताए अनुसार कटौती की अनुमति दी गई है, और कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति को इस राशि को उस पर अर्जित राशि के साथ प्राप्त

होता है, तो

- (i) पेंशन योजना को बंद करना या उससे बाहर निकलना या
- (ii) खरीदी गई वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन, ऐसे बंद होने या इससे बाहर निकलने पर ली जाती है, तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति की आय होगी और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा।

करदाता की मृत्यु पर, पेंशन बंद होने या चालू होने पर, नामिती द्वारा प्राप्त राशि, नामिती की आय नहीं मानी जाएगी। जहाँ कर्मचारी द्वारा भुगतान या जमा की गई किसी भी राशि को इस धारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, वहाँ धारा 80सी के तहत ऐसी राशि के संदर्भ में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, यह निर्दिष्ट किया गया है कि 01.04.09 से नई पेंशन योजना से कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि पिछले वर्ष में प्राप्त नहीं मानी जाएगी यदि ऐसी राशि का उपयोग उसी पिछले वर्ष में वार्षिकी योजना खरीदने के लिए किया जाता है।

इस बात पर जोर दिया जाता है कि धारा 80सीसीई के अनुसार , धारा 80सी, 80सीसीसी और धारा 80 सीसीडी(1) के अंतर्गत कटौती की कुल राशि 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी। धारा 80सीसीडी(1बी) के अंतर्गत दी जाने वाली कटौती, एनपीएस में 50,000/- रुपये तक की किसी भी राशि के भुगतान पर एक अतिरिक्त कटौती है। हालाँकि, केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा धारा 80 सीसीडी(2) के अंतर्गत किसी पेंशन योजना में किया गया अंशदान इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त 1,50,000/- रुपये की सीमा से बाहर रखा जाएगा।

5.5.4 इक्विटी बचत योजना (धारा 80 सीसीजी) के तहत किए गए निवेश के संबंध में कटौती:

धारा 80सीसीजी, अधिसूचित इक्विटी बचत योजना के अंतर्गत किए गए निवेश पर कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से कटौती प्रदान करती है। राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना 2012 को दिनांक 23.11.2012 के एसओ संख्या 2777 ई (अनुवर्ती शुद्धिपत्र एसओ संख्या 2835 ई, दिनांक 05.12.2012) द्वारा अधिसूचित किया गया था और इस धारा के अंतर्गत एक योजना के रूप में दिनांक 18.12.2013 के अधिसूचना एसओ संख्या 3693 ई द्वारा संशोधित किया गया था। इस योजना को दिसंबर 2013 में दिनांक 18.12.2013 के अधिसूचना एसओ 3693 (आरजीईएसएस, 2013) द्वारा संशोधित किया गया था। आरजीईएसएस 2013 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत कटौती निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर उपलब्ध है:

- (ए) करदाता एक निवासी व्यक्ति है
- (बी) उनकी सकल कुल आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है;
- (सी) धारा 10(38) में परिभाषित अनुसार अधिसूचित योजना के अनुसार सूचीबद्ध शेयर या इक्विटी उन्मुख फंड की सूचीबद्ध इकाइयां अर्जित की हैं;
- (डी) करदाता एक नया खुदरा निवेशक है ;
- (ई) उपरोक्त योजना के अनुसार अधिग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेश लॉक-इन है;
- (एफ) करदाता निर्धारित किसी अन्य शर्त को पूरा करता है।

कटौती की राशि - कटौती की राशि इक्विटी शेयरों/यूनिटों में निवेश की गई राशि के 50% के बराबर है। हालाँकि, इस प्रावधान के तहत कटौती की राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती।

कटौती की वापसी - यदि करदाता , पूर्वोक्त कटौती का दावा करने के पश्चात, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो मूल रूप से दी गई कटौती उस वर्ष की करदाता की आय मानी जाएगी जिसमें चूक की गई है।

यह कटौती उस निर्धारण वर्ष से शुरू होकर लगातार तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए अनुमत है जिसमें सूचीबद्ध इक्विटी शेयर या यूनिट पहली बार अर्जित किए गए थे। यदि किसी करदाता द्वारा किसी वर्ष में इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती का दावा किया जाता है, तो वह किसी अन्य वर्ष के लिए इस धारा के अंतर्गत किसी कटौती का हकदार नहीं होगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती उस कर्मचारी को दी जाएगी जिसने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा किया है, यदि वह अन्यथा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।

5.5.5 भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आदि के संबंध में कटौती (धारा 80डी)

विवरण	केस-1	केस-2	केस-3
स्वयं एवं परिवार (इनमें से कोई भी वरिष्ठ नागरिक नहीं है)	माता-पिता (उनमें से कोई भी वरिष्ठ नागरिक नहीं है)	स्वयं एवं परिवार (इनमें से कोई भी वरिष्ठ नागरिक नहीं है)	माता-पिता (उनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक हो)
		माता-पिता (उनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक हो)	स्वयं एवं परिवार (माता-पिता (उनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक हो)

चिकित्सा बीमा, आदि*	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000
चिकित्सा व्यय**	--	--	--	50,000	50,000	50,000
अधिकतम स्वीकार्य कटौती	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000
धारा 80डी के तहत स्वीकार्य कटौती की कुल राशि	50,000		75,000		1,00,000	

* इसमें (i) स्वयं एवं परिवार के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/अधिसूचित योजना में अंशदान, तथा (ii) निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000/- रुपये तक की राशि शामिल है।

** यह तभी स्वीकार्य है जब चिकित्सा बीमा के लिए कोई राशि का भुगतान न किया गया हो।

नोट 1 : निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भुगतान केवल नकद में किया जा सकता है, अन्य भुगतान गैर-नकद मोड द्वारा किया जाना चाहिए।

नोट 2 : वित्त अधिनियम, 2018 ने अधिनियम की धारा 80डी में संशोधन किया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक वर्ष से अधिक के कवर वाली एकल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के मामले में, कटौती उन वर्षों की संख्या के लिए आनुपातिक आधार पर दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है, जो ऊपर निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाओं के अधीन है।

यहाँ

- (मैं) "परिवार" का तात्पर्य कर्मचारी के पति/पत्नी और आश्रित बच्चों से है।
- (ii) "वरिष्ठ नागरिक" से तात्पर्य भारत में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

डीडीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर उल्लिखित चिकित्सा बीमा इस संबंध में बनाई गई योजना के अनुसार होगा-

- (ए) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन गठित और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय साधारण बीमा निगम; या
- (बी) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा अनुमोदित और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित।

(II) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का एकमुश्त भुगतान

यदि स्वास्थ्य बीमा को एक वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी रखने के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है, तो धारा 80डी की उपधारा (4ए) के अनुसार, जिस वर्ष भुगतान किया गया था, उसके लिए तथा आगामी वर्ष/वर्षों के लिए आनुपातिक कटौती (उचित अंश) स्वीकार्य होगी।

विकलांग व्यक्तियों या आश्रितों पर व्यय के संबंध में कटौती

5.5.6.1 आश्रित, जो विकलांग व्यक्ति है, के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती (धारा 80डीडी):

धारा 80डीडी के तहत , जहां कोई कर्मचारी, जो भारत का निवासी है, पिछले वर्ष के दौरान-

- (ए) आश्रित , जो विकलांग व्यक्ति है, के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए कोई व्यय किया हो ; या
- (बी) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन और बोर्ड द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किसी योजना के तहत किसी आश्रित के खरखाव के लिए कोई राशि का भुगतान या जमा किया जाता है , जो विकलांग व्यक्ति है, कर्मचारी को उस वर्ष की उसकी सकल कुल आय से 75,000 /- रुपये की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

तथापि, जहां ऐसा आश्रित गंभीर विकलांगता वाला व्यक्ति है, वहां निर्दिष्ट शर्तों के अधीन 1,25,000/- रुपये की राशि कटौती के रूप में दी जाएगी।

उपरोक्त (बी) के तहत कटौती केवल तभी दी जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

- (मैं) उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट योजना में उस व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जिसके नाम पर योजना में अंशदान किया गया है, आश्रित, जो विकलांग व्यक्ति है, के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान का प्रावधान है;
- (ii) कर्मचारी , आश्रित को , जो कि विकलांग व्यक्ति है, या किसी अन्य व्यक्ति या ट्रस्ट को, जो कि आश्रित को , जो कि विकलांग व्यक्ति

है, के लाभ के लिए, उसकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए नामित करता है।

तथापि, यदि आश्रित, जो दिव्यांग व्यक्ति है, कर्मचारी से पहले मर जाता है, तो उप-पैरा (बी) के तहत भुगतान या जमा की गई राशि के बराबर राशि को पिछले वर्ष की कर्मचारी की आय माना जाएगा जिसमें ऐसी राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई थी और तदनुसार उस पिछले वर्ष की आय के रूप में कर योग्य होगी।

5.5.6.2 विकलांग व्यक्ति के संबंध में कटौती (धारा 80यू):

धारा 80यू के अंतर्गत, किसी निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय, जिसे पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग व्यक्ति प्रमाणित किया जाता है, उसे 75,000/- रुपये की कटौती की अनुमति होगी। हालाँकि, जहाँ ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है, वहाँ 1,25,000/- रुपये की उच्चतर कटौती स्वीकार्य होगी।

डीडीओ को ध्यान रखना चाहिए कि 80डीडी कटौती कर्मचारी के आश्रितों के लिए है, जबकि 80यू कटौती स्वयं कर्मचारी के लिए है। हालाँकि, दोनों धाराओं के अंतर्गत, कर्मचारी को डीडीओ को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी :

1. ए(1) में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा नियमों के नियम 11 ए(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति। डीडीओ को कटौती की अनुमति केवल तभी देनी होगी जब यह देखा जाए कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र इस नियम में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी से है और उसमें उल्लिखित प्रारूप में है।
2. इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहाँ विकलांगता की स्थिति अस्थायी है और पूर्वोक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा का पुनः आकलन अपेक्षित है, इस धारा के अंतर्गत किसी भी बाद की अवधि के लिए कोई कटौती नहीं दी जाएगी, जब तक कि उपरोक्त 1 के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी से नया प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और डीडीओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।
3. धारा 80डीडी और 80यू के प्रयोजनों के लिए परिभाषित कुछ शब्द निम्नानुसार हैं:-
 - (ए) "प्रशासक" से अभिप्राय भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक से है;
 - (बी) "आश्रित" का अर्थ है-
 - (में) किसी व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति के पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी;
 - (ii) हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य, जो अपने भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर निर्भर है, और जिसने पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना करने में धारा 80यू के अंतर्गत किसी कटौती का दावा नहीं किया है;
 - (सी) "विकलांगता" का अर्थ दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (i) में निर्दिष्ट किया जाएगा और इसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ए), (सी) और (एच) में निर्दिष्ट "ऑटिज्म", "सेरेब्रल पाल्सी" और "बहु दिव्यांगता" शामिल हैं;
 - (डी) "जीवन बीमा निगम" का वही अर्थ होगा जो धारा 88 की उपधारा (8) के खंड (iii) में है;
 - (ई) "चिकित्सा प्राधिकरण" का अर्थ है विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (पी) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकरण या ऐसे अन्य चिकित्सा प्राधिकरण, जो अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ए), (सी), (एच), (जे) और (ओ) में निर्दिष्ट "ऑटिज्म", "सेरेब्रल पाल्सी", "बहु विकलांगता", "विकलांग व्यक्ति" और "गंभीर विकलांगता" को प्रमाणित करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है;
 - (एफ) "विकलांग व्यक्ति" से तात्पर्य विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (टी) या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (जे) में निर्दिष्ट व्यक्ति से है;
 - (जी) "गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ है-
 - (में) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक दिव्यांगताओं में से अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति; या
 - (ii) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की

धारा 2 के खंड (ओ) में निर्दिष्ट गंभीर विकलांगता वाला व्यक्ति;

(एच) " निर्दिष्ट कंपनी" से तात्पर्य यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (एच) में निर्दिष्ट कंपनी से है।

5.5.7. चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती (धारा 80डीडीबी):

धारा 80DDB, भारत में निवासी किसी कर्मचारी को, पिछले वर्ष के दौरान, स्वयं के लिए या उसके आश्रित के लिए नियम 11DD(1) में निर्दिष्ट किसी बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार हेतु वास्तव में भुगतान की गई किसी भी राशि पर कटौती की अनुमति देती है। अनुमत कटौती, कर्मचारी या उसके आश्रित के संबंध में वास्तव में भुगतान की गई राशि के बराबर या 40,000 रुपये, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

अब नियम 11DD में उल्लिखित किसी ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट या ऐसे ही किसी अन्य विशेषज्ञ के पर्चे के आधार पर कटौती की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, दावे की राशि में बीमाकर्ता से प्राप्त या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि को घटा दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) है, तो एक लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति है।

इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी कर्मचारी के मामले में, " आश्रित " से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से किसी से है, जो अपने भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः कर्मचारी पर निर्भर है।

अधिसूचना संख्या 2791(ई) दिनांक 12.10.2015 के तहत, नियम 11DD में संशोधन करके फॉर्म 10-I में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब नियमों में निर्दिष्ट विशेषज्ञ से एक पर्चा प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसमें रोगी का नाम और आयु, रोग/व्याधि का नाम, साथ ही पर्चा जारी करने वाले विशेषज्ञ का नाम, पता, पंजीकरण संख्या और योग्यता का विवरण हो।

5.5.8 उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80ई):

धारा 80ई के तहत किसी वित्तीय संस्थान या किसी अनुमोदित धर्मार्थ संस्थान से उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या उस छात्र की उच्च शिक्षा के लिए दिया गया है, जिसका वह कानूनी अभिभावक है।

वित्तीय वर्ष की कुल आय की गणना में दी जाएगी जिसमें कर्मचारी लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान शुरू करता है और उसके तुरंत बाद के सात वित्तीय वर्षों तक या उस वित्तीय वर्ष तक जिसमें कर्मचारी द्वारा ब्याज का पूरा भुगतान किया जाता है, जो भी पहले हो। इस धारा के प्रयोजन के लिए -

- (ए) " अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" से तात्पर्य धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए स्थापित और निर्धारित प्राधिकारी धारा 10(23सी) द्वारा अनुमोदित संस्था या धारा 80जी(2)(ए) में निर्दिष्ट संस्था से है;
- (बी) " वित्तीय संस्था" से तात्पर्य ऐसी बैंकिंग कंपनी से है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था भी है); या कोई अन्य वित्तीय संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे;
- (सी) " उच्च शिक्षा" से तात्पर्य किसी विद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण करने के बाद किया जाने वाला अध्ययन का कोई पाठ्यक्रम है, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो या ऐसा करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

5.5.9 कुछ गृह संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80ईईए):

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 23) द्वारा शुरू की गई धारा 80ईईए, किसी व्यक्ति (धारा 80ईई के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र नहीं) की सकल कुल आय से आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के उद्देश्य से किसी भी वित्तीय संस्थान से उसके द्वारा लिए गए ऋण पर देय ब्याज के संबंध में कटौती की अनुमति देती है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

- (मैं) वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होकर 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया है;
- (ii) आवासीय गृह संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपये से अधिक नहीं है;
- (iii) ऋण स्वीकृति की तिथि पर करदाता के पास कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

- (ए) "वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 80ईई की उपधारा (5) के खंड (ए) में दिया गया है;

- (बी) "स्टाम्प ड्यूटी मूल्य" से तात्पर्य किसी अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से है।

इस कटौती की राशि 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी और इसे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के लिए व्यक्ति की कुल आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

जहां इस धारा के अंतर्गत कटौती इस धारा में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत ऐसे ब्याज के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

5.5.10 80ईईबी

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 23) द्वारा शुरू की गई धारा 80ईईबी, किसी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देय ब्याज के संबंध में उसकी सकल कुल आय से कटौती की अनुमति देती है, यदि ऋण वित्तीय संस्थान द्वारा 01.04.2019 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया हो।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (ए) " इलेक्ट्रिक वाहन" से तात्पर्य ऐसे वाहन से है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है, जिसकी कर्षण ऊर्जा विशेष रूप से वाहन में स्थापित कर्षण बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसमें ऐसी इलेक्ट्रिक पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली होती है, जो ब्रेक लगाने के दौरान वाहन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है;
- (बी) " वित्तीय संस्था" से तात्पर्य ऐसी बैंकिंग कंपनी से है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है, या उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था है और इसमें धारा 43बी के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ई) और (जी) में परिभाषित कोई जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल है।

इस कटौती की राशि 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी और इसे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों के लिए व्यक्ति की कुल आय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

जहां इस धारा के अंतर्गत कटौती इस धारा में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत ऐसे ब्याज के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

5.5.11 कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती (धारा 80जी):

धारा 80जी विभिन्न निधियों, धर्मार्थ संगठनों आदि को दिए गए दान के कारण कटौती का प्रावधान करती है। ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी अपने संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में दान करते हैं, ऐसी निधियों के लिए प्रत्येक कर्मचारी को ऐसे निधियों में किए गए दान के संबंध में अलग प्रमाण पत्र जारी करना संभव नहीं है क्योंकि इन निधियों में किए गए योगदान एक समेकित चेक के रूप में होते हैं। जो कर्मचारी इन निधियों में दान करता है वह धारा 80जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताए गए ऐसे दान के संबंध में दावा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ)/नियोक्ता द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 80जी के तहत स्वीकार्य होगा - परिपत्र संख्या 2/2005, दिनांक 12-1-2005।

यदि दान की राशि 2000/- रुपये से अधिक है तो इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि राशि नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से भुगतान न की गई हो।

5.5.12 भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती (धारा 80जीजी):

धारा 80GG कर्मचारी को अपने आवास के लिए भुगतान किए गए मकान किराए के संबंध में कटौती की अनुमति देती है। यह कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य है: -

- (ए) कर्मचारी को विशेष रूप से दिया गया कोई मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है जो अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करता हो;
- (बी) कर्मचारी फॉर्म संख्या 10BA में घोषणा दाखिल करता है। (अनुलग्नक X)
- (सी) कर्मचारी के पास निम्नलिखित नहीं है:
- (में) स्वयं या अपने पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा या जहां ऐसा कर्मचारी हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, वहां ऐसे परिवार द्वारा, उस स्थान पर जहां वह सामान्यतः निवास करता है या अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करता है या अपना व्यवसाय या पेशा

चलाता है, कोई आवासीय सुविधा; या

- (ii) किसी अन्य स्थान पर, कोई आवासीय सुविधा जो कर्मचारी के कब्जे में है, जिसका मूल्य धारा 23(2)(ए) या धारा 23(4)(ए) के तहत निर्धारित किया जाना है, जैसा भी मामला हो।
- (डी) वह अपनी कुल आय के 10% से अधिक भुगतान किए गए मकान किराए पर कटौती का हकदार होगा। यह कटौती कुल आय के 25% या ₹5,000/- प्रति माह, जो भी कम हो, के बराबर होगी। धारा 80GG के तहत कोई भी कटौती करने से पहले इन प्रतिशतों की गणना के लिए कुल आय की गणना की जाएगी।

आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्मचारी को ऐसी कटौती की अनुमति देने से पहले ऊपर उल्लिखित सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। उन्हें किराए के वास्तविक भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी जोर देकर इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।

5.5.13 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कुछ दान के संबंध में कटौती (धारा 80 जीजीए):

धारा 80जीजीए किसी भी राशि के दान के संबंध में कर्मचारी की कुल आय से कटौती की अनुमति देती है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	व्यक्तियों को दिए गए दान	धारा के अंतर्गत अनुमोदन/अधिसूचना	अनुमोदन/अधिसूचना प्रदान करने वाला प्राधिकरण
1	एक शोध संघ जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाना है	धारा 35(1)(ii) के तहत	केंद्र सरकार
2	एक शोध संघ जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान को सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाना है	धारा 35(1)(iii) के तहत	केंद्र सरकार
3	कोई संघ या संस्था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम को शुरू करना है, जिसका उपयोग धारा 35सीसीए के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए किया जाएगा।	धारा 35CCA (2) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	नियम 6AAA के तहत विहित प्राधिकारी
4	एक संघ या संस्था जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है।	धारा 35CCA (2A) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	नियम 6AAA के तहत विहित प्राधिकारी
5	किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संघ या संस्था को किसी पात्र परियोजना या योजना को कार्यान्वित करने के लिए।	धारा 35AC(2)(a) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है	सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति
7	ग्रामीण विकास निधि	धारा 35सीसीए (1)(सी) के तहत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित
8	राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष	धारा 35सीसीए (1)(डी) के तहत अधिसूचित	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित

कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है:

- (मैं) कर्मचारी की सकल कुल आय में वह आय शामिल है जो "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत प्रभाष्य है।
- (ii) दान की राशि 10000 रुपये से अधिक है और इसका भुगतान नकद किया जाता है।

आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कर्मचारी को ऐसी कटौती की अनुमति देने से पहले ऊपर बताई गई सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। उन्हें इस संबंध में दान के वास्तविक भुगतान का प्रमाण और दान देने वाले व्यक्ति से रसीद प्रस्तुत करने पर जोर देकर भी संतुष्ट होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदन/अधिसूचना सही प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है। आहरण एवं संवितरण प्राधिकारियों को कर्मचारी से यह स्व-घोषणा सुनिश्चित करनी चाहिए कि उसे "व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ और प्राप्ति" से कोई आय नहीं है।

5.5.14 बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80टीटीए):

धारा 80टीटीए किसी कर्मचारी को, जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी नहीं है, उसकी सकल कुल आय में से, यदि इसमें बचत खाते में जमा राशि (सावधि जमा नहीं)

पर ब्याज के रूप में कोई आय शामिल है, निम्नलिखित राशि की कटौती की अनुमति देता है :

- (मैं) ऐसे मामले में जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर दस हजार रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी पूरी रकम; और
- (ii) अन्यथा दस हजार रुपये।

यह कटौती तभी उपलब्ध होती है जब ऐसा बचत खाता किसी ऐसे खाते में रखा गया हो।

- (ए) बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित);
- (बी) बैंकिंग व्यवसाय चलाने में लगी सहकारी समिति (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी शामिल है); या
- (सी) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित डाकघर।

इस खंड के लिए, "सावधि जमा" का अर्थ निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकाए जाने वाले जमा से है।

5.5.15 वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80टीटीबी):

धारा 80टीटीबी एक वरिष्ठ नागरिक को जमा राशि पर ब्याज के रूप में आय के संबंध में उसकी सकल कुल आय से कटौती की अनुमति देती है -

- (ए) बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित);
- (बी) बैंकिंग व्यवसाय चलाने में लगी सहकारी समिति (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी शामिल है); या
- (सी) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित डाकघर।

जमा पर उपरोक्त ब्याज के संबंध में कटौती की राशि निम्नानुसार है :-

- (मैं) ऐसे मामले में जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी पूरी रकम; और
- (ii) अन्यथा पचास हजार रुपये।

तथापि, धारा 80टीटीबी के अंतर्गत फर्म के किसी भागीदार या एसोसिएशन के किसी सदस्य या निकाय के किसी व्यक्ति को कोई कटौती नहीं दी जाएगी, यदि उक्त ब्याज किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा या उनकी ओर से रखी गई किसी जमा राशि से प्राप्त होता है।

इस प्रयोजन के लिए, "वरिष्ठ नागरिक" का तात्पर्य भारत में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।

हालाँकि, धारा 80टीटीबी के तहत कटौती का दावा करने वाले करदाता धारा 80टीटीए के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे।

6.5 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए 12500 रुपये की छूट [धारा 87ए]

वित्त अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 7) भारत में रहने वाले उन व्यक्तिगत करदाताओं को छूट के रूप में राहत प्रदान करता है जो निम्न आय वर्ग में आते हैं, अर्थात् जिनकी कुल आय 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है। धारा 87ए के अंतर्गत उपलब्ध छूट की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 12,500/- रुपये या देय कर की राशि, जो भी कम हो, है।

7 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अंतर्गत संचित शेष राशि के भुगतान और अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से अंशदान पर टीडीएस:

7.1 किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के न्यासी, या निधि के विनियमों द्वारा कर्मचारियों को देय संचित शेष राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 9 का उप-नियम (1) लागू होता है, उस समय जब किसी कर्मचारी को देय संचित शेष राशि का भुगतान किया जाता है, उसमें से अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती करेगा।

संचित शेष को "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय माना जाता है।

7.2 जहाँ किसी नियोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किया गया कोई अंशदान, जिसमें ऐसे अंशदानों पर ब्याज, यदि कोई हो, भी शामिल है, कर्मचारी को दिया जाता है, तो निधि के न्यासियों द्वारा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में प्रदत्त सीमा तक इस प्रकार भुगतान की गई राशि पर कर की कटौती की जाएगी। टीडीएस उस औसत दर पर होना चाहिए जिस पर कर्मचारी पिछले तीन वर्षों के दौरान या उस अवधि के दौरान, यदि वह अवधि तीन वर्ष से कम है, जब वह निधि का सदस्य था, कर योग्य था।

कटौतीकर्ता, लौटाए गए अंशदानों (यदि कोई हो तो ब्याज सहित) के कारण भुगतान की गई किसी भी राशि पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी रहेगा, भले ही कोई निधि या निधि का कोई भाग अनुमोदित सुपरएनुएशन निधि न रह जाए।

7.3 अधिनियम की धारा 192ए के अनुसार, हम 01.06.2015 से ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अंतर्गत बनाई गई ईपीएफ

योजना 1952 के न्यासी या योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को देय संचित राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे मामले में जहां किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित राशि, कर्मचारी को देय संचित राशि के भुगतान के समय चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 8 के प्रावधानों के लागू न होने के कारण उसकी कुल आय में शामिल है, उस पर 10% की दर से आयकर की कटौती करेंगे यदि ऐसे भुगतान की राशि या ऐसे भुगतान का कुल योग 50,000/- रुपये से अधिक है। यदि कर्मचारी अपना पैन या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो, प्रदान नहीं करता है, या अमान्य पैन या आधार नंबर, जैसा भी मामला हो, प्रदान करता है, तो कटौती अधिकतम सीमांत दर पर की जाएगी।

चतुर्थ अनुसूची के भाग-ए का नियम-8 कुल आय से कर्मचारी को देय और देय होने वाले निम्नलिखित संचित शेष को बाहर करता है;

- (i) यदि उसने अपने नियोक्ता के साथ पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक निरंतर सेवा की है, या
- (ii) यदि, यद्यपि उसने ऐसी निरंतर सेवा नहीं की है, तो सेवा निम्न कारण से समाप्त कर दी गई है -
कर्मचारियों का खराब स्वास्थ्य, या
नियोक्ता के व्यवसाय के संकुचन या बंद होने से या
कर्मचारी के नियंत्रण से परे अन्य कारण, या
- (iii) यदि, अपने रोजगार की समाप्ति पर, कर्मचारी किसी अन्य नियोक्ता के पास रोजगार प्राप्त करता है, तो ऐसी संचित शेष राशि की राशि ऐसे अन्य नियोक्ता द्वारा बनाए गए किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में उसके व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, या
- (iv) यदि कर्मचारी के खाते में जमा सम्पूर्ण शेष राशि धारा 80 सीसीडी में निर्दिष्ट तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत उसके खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

जब किसी कर्मचारी को देय और देय होने वाली संचित शेष राशि में उसके पूर्व नियोक्ता / नियोक्ता ...

8. दावों के साक्ष्य/प्रमाण प्राप्त करने के लिए डीडीओ:

करदाता की आय का अनुमान लगाने या कर कटौती की गणना करने के प्रयोजन के लिए, धारा 192 (2डी) में प्रावधान है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (डीडीओ) करदाता से मकान किराया भत्ता (जहां कुल वार्षिक किराया एक लाख रुपये से अधिक है) जैसे दावों का साक्ष्य या प्रमाण या विवरण प्राप्त करेगा; नियमों के नियम 26सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र 12बीबी के अनुसार "मकान संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत ब्याज की कटौती और अध्याय VI-ए के तहत कटौती।

इसके अलावा, नियम 26सी के साथ धारा 192 (2डी) के अनुसार, डीडीओ के लिए छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता के लिए छूट के दावे के संबंध में विवरण/साक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है। कर्मचारी द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक प्रपत्र फॉर्म 12बीबी है।

9. कटौती किये जाने वाले आयकर की गणना:

9.1 धारा 192 के प्रयोजन के लिए वेतन आय की गणना निम्नानुसार की जाएगी :-

- (ए) सर्वप्रथम पैरा 5.1 में उल्लिखित सकल वेतन की गणना करें जिसमें पैरा 5.2 में उल्लिखित सभी आय शामिल हों तथा पैरा 5.3 में उल्लिखित आय को छोड़ दिया जाए।
- (बी) उपरोक्त (क) में प्राप्त आंकड़े से पैरा 5.4 में उल्लिखित कटौती की अनुमति दें और कर्मचारी के शुद्ध वेतन तक पहुंचने के लिए राशि की गणना करें।
- (सी) अन्य सभी मदों - "गृह संपत्ति", "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति", पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय - से आय को जोड़कर कुल सकल आय ज्ञात करें, जैसा कि पैरा 3.5 में उल्लिखित सरल विवरण के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि डीडीओ द्वारा "गृह संपत्ति से आय" मद के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये तक की हानि के अलावा किसी भी ऐसी मद के अंतर्गत कोई हानि स्वीकार्य नहीं है।
- (डी) उपरोक्त (ग) में प्राप्त राशि से पैरा 5.5 में उल्लिखित कटौतियाँ स्वीकार करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि संबंधित शर्तें पूरी होती हैं। पैरा 5.5 में उल्लिखित प्रारंभिक सीमा के अधीन कटौतियों की कुल राशि उपरोक्त (ख) में दी गई राशि से अधिक नहीं होगी और यदि यह अधिक हो, तो उसे उसी राशि तक सीमित रखा जाना चाहिए।

यह कर्मचारी की कुल आय की वह राशि होगी जिस पर आयकर काटा जाना आवश्यक होगा। इस आय को दस रुपये के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

9.2 ऐसी आय पर आयकर की गणना इस परिपत्र के पैरा 2.1 में दी गई दरों पर, कर्मचारी की आय को ध्यान में रखते हुए और पैरा 4.8 में वर्णित धारा 206AA के प्रावधानों के अधीन, की जाएगी। पात्र व्यक्तियों को धारा 87A के अनुसार ₹12,500/- तक की छूट (पैरा 6 देखें) दी जा सकती है। जहाँ लागू हो, वहाँ अधिभार की गणना की जाएगी (पैरा 2.2 देखें)।

9.3 यदि लागू हो तो अधिभार द्वारा बढ़ाई गई कर राशि में 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर जोड़कर कुल देय कर की राशि निर्धारित की जाएगी।

9.4 पैरा 9.3 के अनुसार देय कुल कर की राशि हर महीने समान किशतों में काटी जानी चाहिए। किसी भी पिछली कटौती से उत्पन्न होने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि या घाटे को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान बाद की कटौतियों की राशि में वृद्धि या कमी करके समायोजित किया जा सकता है।

10. विविध:

10.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और केवल नियोक्ताओं को वेतन से कर कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने में मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। जहाँ कहीं भी कोई संदेह हो, आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियम, 1962, वित्त अधिनियम, 2019 (2019 का संख्या 7) और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का संख्या 23) के प्रावधानों, संबंधित परिपत्रों/अधिसूचनाओं आदि का संदर्भ लिया जा सकता है।

10.2 यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो आयकर विभाग के कर निर्धारण अधिकारी/स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

10.3 ये निर्देश सभी संवितरण अधिकारियों और उपक्रमों, जिनमें केन्द्र/राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन उपक्रम भी शामिल हैं, के ध्यान में लिए जाएं।

10.4 इस परिपत्र की प्रतियां निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं:

www.finmin.nic.in और www.incometaxindia.gov.in

अनुलग्नक - I

अनुलग्नक - II

अनुलग्नक - IIa

अनुलग्नक - III

अनुलग्नक - IV

अनुलग्नक - V

अनुलग्नक - VI

अनुलग्नक - VII

अनुलग्नक - VIII

अनुलग्नक - IX

अनुलग्नक - X

